राजस्थान विधान सभा

तेईसवीं बैठक, बुधवार, दिनांक—१९ मई, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर में ५ बज कर १० मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५६५

परबतसर तहसील में जूण की घाटी के बाँध का निर्माण

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) परबतसर तहसील में जूण की घाटी के बांध को बनाने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो उसका काम कब तक शुरू हो जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद (उपमन्त्री)—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह बात सही है कि इस बांध के बन जाने से न केवल पीने के पानी की ही सुविधा होगी बल्कि सिंचाई भी हो सकेगी ?

श्री चन्दन मल वैद—अभी तक प्राथमिकता की दृष्टि से यह पंच वर्षीय योजना में नहीं आ सका है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि परबतसर से पीने के पानी के कष्ट को देखते हुए और सिंचाई को देखते हुए इसे प्राथमिकता देने के लिये परबतसर के अधिकारियों ने इसकी मांग की है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सब सही हो सकता है लेकिन सारी स्कीमें एक साथ नहीं ली जा सकती।

श्री चाँदमल मेहता—क्या बजट के वक्त सिंचाई मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि इस पर जल्दी विचार किया जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद—विचार करने का आश्वासन दिया होगा, हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं की उसे कार्यरूप में परिणत किया जावेगा।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार अब इस पर शीघ्र विचार करेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार इस बात की जांच करने के लिये तैयार नहीं है कि इससे कितनी सिंचाई होगी और कितना जल-कष्ट दूर होगा ?

श्री चन्दनमल वैद—जांच की जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—यह जांच कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—यथा-शीघ्र पूरी हो जावेगी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या वास्तव में परबतसर में जहां जल-कष्ट रहता है और जो स्केयरसिटी एरिया है उसको देखते हुए इसको प्राथमिकता दी जावेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—हर एक क्षेत्र वाले यही कहते हैं कि उनको प्राथमिकता दी जावे। जिस प्रकार आप कहते हैं लेकिन सब स्कीमें एक साथ ली जावे, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री चाँदमल मेहता—स्केयरसिटी एरिया को प्राथमिकता दी जावेगी या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—सारा राजस्थान ही स्केयरसिटी एरिया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६६.

अराई तहसील के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई की दरें

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अराई तहसील में किन २ गांवों में किस २ रेट से सिंचाई के चार्जेज़ वसूल किये जाते हैं ?

Page No.3

[श्री चाँदमल मेहता]

(ख) उक्त चार्जेज़ कब से वसूल होने शुरू हुए हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि नकदी लगान कायम करते वक्त सिंचाई के चार्जेज उसमें शामिल कर लिये गये थे ?

श्री चन्दनमल वैद—(क) १. सिर्फ जिरोता व दादया ग्राम में सिंचाई का चार्ज लिया जाता है यानि ग्राम जिरोता में फसल खरीफ में ८ आने फी बीघा कपास की जिन्स पर फी पानी चार्ज होता है और ६ आने फी बीघा जिन्स मक्का पर फी पानी चार्ज होता है और रबी में ६ आने फी बीघा हर जिन्स पर लिया जाता है।

२. ग्राम दादिया में हर दो फसलों पर ८ आने फी बीघा फी पानी लिया जाता है।

(ख) सेटलमेंट होने के पश्चात् सन् १९४६ से चार्ज पिलाई रबी को फसल में लेना शुरू हुआ।

(ग) उक्त दो गांव के लिये शामिल नहीं किया गया था।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिरोता के अन्दर अब तक सिंचाई को शरह वसूल नहीं की गई ?

श्री चन्दनमल वैद—सन् १९४६ से वसूल की जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस बात का सबूत दे दिया गया कि वे सिंचाई में शामिल हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—इसका उत्तर आपको दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४६७

किशनगढ़ के यज्ञनारायण औषधालय में इन्डोर मरीज़ों के रहने की व्यवस्था

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ के यज्ञनारायण होस्पिटल में कितने इन्डोर मरीज रहने की व्यवस्था है ?

(ख) क्या उक्त संख्या वहां के लिये पर्याप्त है ?

Page No.4

श्री कुम्भाराम आर्य (चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री)—३० इन्डोर रोगियों के रहने की व्यवस्था है और इन्डोर रोगियों की दैनिक संख्या २२.८ है। इस संख्या को देखते हुए व्यवस्था पर्याप्त है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि कई मर्तबा मरीज बैरकों में रखे जाते हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—ज्यादा हों तब।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि वह हॉस्पिटल ५० बेड का है और उन बेड्स का उपयोग दफ्तर में होता है?

श्री कुम्भाराम आर्य—३० बेड्स का है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सम्बन्धित मंत्री महोदय ने पिछले अधिवेशन में यह जवाब नहीं दिया था कि यह पचास बेड्स का होस्पिटल है?

श्री कुम्भाराम आर्य—मेरी जानकारी में नहीं है।

(हंसी)

श्री चाँदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय जनकारी करके बतावेंगे कि उन बेड्स का दफ्तर में उपयोग नहीं होता है और यह होस्पिटल ५० बेड्स का है?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह तो तीस बेड्स का ही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६८

सन् १९५३ में नये आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् १९५३ में राजस्थान में नये आयुर्वेदिक औषधालय कितने और कहां-कहां खोले गये?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—३५ आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं। जहां खोले गये उन स्थानों की लिस्ट सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की टेबल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.5

श्री चाँदमल मेहता--ये औषधालय किस हालत में खोले गये हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य--लोगों की मांग और आवश्यकता को देखते हुये।

श्री चाँदमल मेहता--जिन लोगों की मांगें थीं तो क्या वे इस लिस्ट में आ गई हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य--जितना बजट था।

श्री चांदमल मेहता--तो क्या टांटिया ग्राम की ओर से मांग नहीं थी ?

श्री कुम्भाराम आर्य--जो औषधालय खोले गये वे मैंने बता दिये।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, श्री मुक्तिलाल मोदी।

प्रश्न संख्या ५६६

सन् १९५१-५२ में अनाज की ढुलाई के ठेके तथा इसके टेन्डर

श्री मुक्तिलाल मोदी--क्या सप्लाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सन् १९५१-५२ में अनाज की ढुलाई का ठेका डिस्ट्रिक्ट जयपुर व टोंक में मेसर्स प्रकाश एन्ड कम्पनी को दिया गया था ? यदि हां, तो किस रेट से ?

(२) क्या ठेका देने से पूर्व टेन्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो दूसरे लोगों के (Quatations) मेसर्स प्रकाश एन्ड कम्पनी से अधिक थे या कम ?

(३) क्या मेसर्स प्रकाश एन्ड कम्पनी के ठेके की मियाद खत्म हो जाने पर साल भर की मियाद और बढ़ाई गई है ?

(४) क्या दूसरे ट्रक होल्डर्स २ पाई फी मील पक्का रोड़ व ४ पाई फी मील कच्चा रोड पर काम करने को तैयार थे ?

(५) सन् ५३-५४ में प्रकाश एन्ड कम्पनी को किस रेट से ट्रान्सपोर्ट का ठेका दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--(१) सन् १९५१-५२ में जयपुर के ट्रान्सपोर्ट का ठेका प्रकाश एन्ड कम्पनी को दिया गया था। यह ठेका (ए), (बी) तथा (सी) क्लास के रास्तों पर क्रम से ३, ३॥ व ५ पाई प्रति मन प्रति मील के हिसाब से दिया गया था। टोंक में प्रकाश एन्ड कम्पनी को गल्ला ढोने का ठेका कभी नहीं दिया गया।

(२) हां, ठेका देने से पूर्व टेन्डर अवश्य मांगे थे और जयपुर ट्रान्सपोर्ट कॉन्टेक्टर्स एसोशियेशन के टेन्डर्स प्रकाश एन्ड कम्पनी से कम अवश्य थे, परन्तु ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रेक्टर्स एसोसियेशन, जयपुर ने उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के सम्बन्ध में बैंक गारन्टी नहीं दी। अतः उक्त एसोसियेशन को ठेका नहीं दिया गया।

Page No.6

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(३) जो अनाज मयाद बढ़ाये जाने पर ट्रान्सपोर्ट करना था वस्तुतः इसी ठेकेदार के ठेके के समय का उपलब्ध 'प्रोक्योर' किया हुआ था और सरकार ने अपने फायदे के लिये इसे उस समय नहीं ढुलवाया था। इसलिये इसी ठेकेदार से गल्ला ढुलवाना उपयुक्त समझा। इसके अतिरिक्त नये वर्ष के लिये नया प्रोक्योरमेंट सिस्टम जारी किया गया जिसमें न तो प्रोक्योर्ड गल्ला ज्यादा परिणाम में प्राप्त करने की आशा थी और न सरकारी ठेकेदार से नया प्रोक्योर किया हुआ गल्ला इधर-उधर भिजवाने का सवाल पैदा होता था, बल्कि व्योपारी ही सरकार के बताये हुए गोदाम पर गल्ला देने को बाध्य किये गये थे। इसके अतिरिक्त प्रोक्योरमेंट पोलिसी के तय होने में देर हो गई थी, इसलिये पब्लिश कराने व टेन्डर लेने के लिये समय कम रह गया था। अतः पुराने ठेकेदार से ही कार्य कराना उपयुक्त समझा।

दफ्तर में लिखित रूप में कोई ऐसा रेकार्ड नहीं मिलता जिसमें अन्य ठेकेदारों ने २ पाई व ४ पाई प्रति मील प्रति मन क्रम से पक्के व कच्चे रास्तों पर अनाज ढोने के लिये तैयार होने की इच्छा प्रकट की हो।

(४) सन् १९५३-५४ में प्रकाश एन्ड कम्पनी को जयपुर की लालसोट तहसील और किशनगढ़ सब डिविजन को छोड़कर अन्य ग्यारह तहसीलों का ठेका सभी प्रकार के रास्तों पर २ पाई प्रति मन प्रति मील के हिसाब से दिया गया है और किशनगढ़ की चार तहसीलों में (ए), (बी) तथा (सी) क्लास के रास्तों पर क्रम से २॥, ३॥ और ४ पाई प्रति मील प्रति मन के हिसाब से ठेका दिया गया है, जो शिड्यूल रेट से कम है।

श्री मुक्तिलाल मोदी--क्या माननीय मन्त्री जी बतावेंगे कि जो टेन्डर दिये गये थे उनमें २॥, ३ और ३॥ तीन पाई के ही टेन्डर थे या उनसे कम भी थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं अपने जवाब में इस प्रश्न का उत्तर बता चुका हूँ। यदि आप अच्छी तरह से सुन लेते तो आपको इस प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं होती। आप क्या जानना चाहते हैं, यह साफ बतावें और फिर प्रश्न करें तो मैं बता सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या माननीय मन्त्री जी.....

श्री अध्यक्ष--Order !

श्री मुक्तिलाल मोदी--जो बताया गया है मैं उसको समझा नहीं हूँ।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास--नये वर्ष के लिए नये टेन्डर मांगने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

Page No.7

श्री भोगीलाल पंड्या—उचित कार्यवाही की गई थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्रीजी ने बताया है कि समय कम रह जाने की वजह से उसी फर्म को एक्सटेन्शन दिया गया। तो समय की कमी क्यों रही?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय मित्र, यदि मैंने जो उत्तर दिया था उस पर गौर करते तो वे यह प्रश्न ही नहीं उठाते। गवर्नमेंट ने अपनी प्रोक्योरमेंट की पोलिसी दूसरी बनाई थी। जो व्यापारी अनाज तुलवाते थे वे सेन्टरों पर आकर तुलवाते थे और इसलिये टेन्डर की आवश्यकता भी नहीं थी। भारत सरकार से प्रोक्योरमेंट की स्वीकृति लेने पड़ती है। बाकी के अनाज ढोने का सवाल ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री नारायणलाल।

प्रश्न संख्या ५७०

फतहपुर-सीकर के सरकारी गोदाम का माल ढोने वाले गाड़ीवानों की मजदूरी के दाम देने सम्बन्धी

श्री नारायणलाल—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि फतहपुर जिला सीकर के सरकारी गोदाम का माल ढोने वाले गाड़ीवानों की मजदूरी के दाम करीब-करीब दो साल से नहीं दिये जा रहे हैं?

(ख) अगर सही है, तो इसका क्या कारण है?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) फतहपुर जिला सीकर में गोदाम के गल्ला ढोने वाले मजदूरों को मजदूरी के दाम दे दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री महादेव प्रसाद।

प्रश्न संख्या ५७१

पिछले पांच वर्षों में झुंझुनू जिले में वन-महोत्सव पर कुल व्यय

श्री महादेव प्रसाद—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले ५ वर्षों में झुंझुनू जिले में वन-महोत्सव पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ?

Page No.8

[श्री महादेव प्रसाद]

(ख) उक्त सालों में कुल कितने पेड़ कहां-कहां लगाये गये, जिनमें कितने अभी मौजूद है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) ये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कुल ७३२४ वृक्ष लगाये गये। इनमें से तकरीबन आधे मौजूद हैं। इनमें से ३१३५ वृक्ष झुंझुनू में लगाये गये थे और उनमें से २१८५ मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री तेजमल बापना।

प्रश्न सं० ५७२

मानसी नदी [जिला भीलवाड़ा] के बांध का सर्वे

श्री तेजमल बापना—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मानसी नदी (जिला भीलवाड़ा) के बांध का सर्वे हो चुका है या अभी हो रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस बांध को सरेरी (हुर्डा) व सरवड़ (शाहपुरा) दो जगह से बांधने की योजना है ?

(ग) यदि हां, तो कितनी कितनी जमीनें हर एक से नये सिरे से पीवल हो सकेगी और कितना खर्च लगेगा ?

(घ) क्या यह बांध इसी पंचवर्षीय-योजना में ले लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक इस काम के चालू होने की सम्भावना है और पहले किस जगह का काम चालू होगा ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) मानसी नदी के सर्वे का कार्य अभी जारी है।

(ख) अभी इसकी जाँच की जा रही है, मुमकिन है कि दोनों जगह बांध बनाये जावे।

(ग) दोनों जगहों पर लगभग २०–२० हजार एकड़ जमीन नई पीवल हो सकेगी और दोनों जगहों पर लगभग ६० लाख रुपया खर्च होगा।

(घ) इस बांध की सर्वे वगैरह के लिए ६० हजार रुपया इसी पंचवर्षीय योजना में लिया हुआ है और यह काम अगली पंचवर्षीय योजना में लियां जाने वाला है। अब भारत सरकार ने ढ़ाई करोड़ रुपया ऐसे कामों के लिए देना मन्जूर किया है और इसी मद में से यह काम ले लिया जाने

Page No.9

[श्री चन्दनमल वेद]

का विचार है। उम्मीद है बरसात के बाद तक यह काम शुरू कर दिया जा सकेगा। पहले सरेरी का काम शुरू किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री गुरुदयालसिंह।

प्रश्न सं० ५७३

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ५७४

श्री भैरोंसिंह [डि० १६]—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आदेश जारी हुआ है कि इस विभाग का कोई कर्मचारी किसी भी सरकारी भवन की चहार दिवारी में गाय नहीं रख सकता?

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश की क्या आवश्यकता हुई और अब इस आदेश को हटाया जायगा या नहीं?

श्री कुम्भाराम (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) जी नहीं, किन्तु डिस्पेन्सरी की चहार दिवारी में गाय रखना अवश्य वर्जित किया हुआ है।

(ख) स्वच्छता की दृष्टि से डिस्पेन्सरी के अहाते में गायें रखना उचित नहीं समझा जाता अतः इस आदेश को हटाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह—जब डॉक्टर्स चहार दिवारी में गाय नहीं रख सकते हैं तो क्या उनको गायें रखने के लिए सरकार ने कोई अलग सुविधायें प्रदान की हैं।

श्री कुम्भाराम—बहुत सी जगह उनके रहने के लिए क्वार्टर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह—जिन जगहों पर क्वार्टर्स नहीं है तो क्या उन जगहों पर सरकार बनाने का विचार करती है?

श्री कुम्भाराम—वक्त आयेगा तब यह भी देखेंगे।

(हँसी)

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि डॉक्टर गाय रखना चाहते है, और वह वक्त आ गया है ?

श्री कुम्भाराम—पहले रोगियों की तरफ देखना जरूरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्रीजी का वक्त कब आयगा ?

श्री कुम्भाराम—जब बजट में पैसा होगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या रोगियों की तन्दुरुस्ती के साथ २ डाक्टर्स की तन्दुरुस्ती का खयाल रखना जरूरी नहीं है ?

श्री कुम्भाराम—मेरा सुझाव है कि गाय रखना जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिह—जब डॉक्टर्स को गाय रखने की इजाजत नहीं देते हैं तो डॉक्टर्स के बाल-बच्चों के लिए दूध की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री कुम्भाराम—किसी डाक्टर को गाय रखने की मुमानियत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—हॉस्पिटल की चहार दिवारी में तो रखने की इजाज़त नहीं है।

श्री कुम्भाराम—हॉस्पिटल में गाय नहीं रखी जाती है, वहाँ तो मरीज रहते हैं।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री भैरोंसिह—एक प्रश्न और कहना है। होस्पिटल में यदि गाय नहीं रह सकती है तो चहार दिवारी में तो रह सकती है, इससे तो मरीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री धूलजी भाई।

प्रश्न संख्या ५७५

बाँसवाड़ा जिले में महिलाओं की चिकित्सा के लिये औषधियाँ तथा डिस्पेन्सरी की व्यवस्था

श्री धूलजी भाई—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री धूलजी भाई]

(क) बांसवाड़ा जिले में महिलाओं की चिकित्सा के लिए किन किन होस्पिटल्स व डिस्पेन्सरियों में व्यवस्था है ?

(ख) जहाँ नहीं हैं वहाँ क्या सरकार लेडी-डाक्टर अथवा नर्स की व्यवस्था करेगी ?

श्री कुम्भाराम (स्वास्थ्य मन्त्री)—बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा, गढ़ी, कुशलगढ़, घांटोल, बारोदिया, बागीडेरा एवं खंडू में महिलाओं की चिकित्सा की व्यवस्था है। किन्तु घांटोल, बारोदिया, बागीडोरा एवं खंडू में प्रसूतिकारिणी प्राप्त न होने के कारण स्थान रिक्त हैं और इन स्थानों की पूर्ति के लिए राजसेवा आयोग को लिख दिया गया है। प्रतापपुरा में मिडवाइफ का स्थान नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी—क्या इन जगहों में डोक्टर हैं ?

श्री कुम्भाराम—यह अलग से पूछिये।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इन स्थानों में बन्दोबस्त नहीं है तो क्या स्त्रियों को बच्चे पैदा करने की इजाजत है ?

श्री कुम्भाराम—यह पुरुषों पर डिपेन्ड करता है।

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या उन स्थानों के पुरुष बच्चे पैदा करने योग्य हैं।

(हँसी)

यदि उन स्थानों के पुरुष बच्चे पैदा करने के योग्य नहीं हैं तो उन स्थानों के पुरुषों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

(हँसी)

श्री कुम्भाराम—नामर्दी का कोई इलाज नहीं।

(हँसी)

श्री धूलजी भाई—मैं यह जानना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा जिले में ऐसे नर्स चिकित्सक कहाँ-कहाँ हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कुशलगढ़ में २ दाई, घाटोल में १ दाई, बागीडोरा और खन्डू में एक एक दाई।

श्री धूलजी भाई—क्या यह रिपोर्ट जो दी गई है, वह जाँच करके दी गई।

(चुप्पी)

श्री हरिदेव जोशी—क्या आप कृपा करके यह बतला सकते हैं कि उन दाइयों के क्या क्या नाम हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—बाद में बता सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member will not ask the age.

(अट्टहास)

श्री हरिदेव जोशी—क्या यह सही है कि जहाँ जहाँ दाइयें हैं, जो यह बतलाया गया है उनमें से सिर्फ कुशलगढ़ को छोड़कर किसी भी स्थान पर कोई दाई नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य--जहाँ नहीं है वहाँ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी--जो यह जवाब दिया गया है वह किस आधार पर दिया गया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य--यह मैंने बजट के आधार पर कहा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह--यह कहाँ तक उचित है कि बजट में जो कुछ है उससे वास्तविकता दूसरी है और उसका जवाब 'हाँ' में दिया जाता है।

श्री कुम्भाराम आर्य--मैं मजबूर हूँ, बजट में होते हुए भी अभी तक कमी पूरी नहीं हो पाई।

प्रश्न सं० ५७६

भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष अनुसूचित जातियों में से विभिन्न पदों पर राज-सेवायें

श्री कस्तूरचन्द—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला भीलवाड़ा में इस साल अनुसूचित जातियों में से किन-किन को किस किस पोस्ट की नौकरियें दी गई हैं ?

(ख) क्या इस साल गजेटेड पोस्ट के लिए भी इस जिले में किन्हीं को लिया गया है ?

[श्री कस्तूरचन्द]

(ग) क्या गजेटेड पोस्ट के लिए भी इस योग्य सज्जनों की दरख्वास्तें पेशी में पेश है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—(क) किसी को नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) जिला भीलवाड़ा से गजेटेड पोस्ट के लिए एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रश्न सं० ५७७

सीकर जिले के हरिजनों की ओर से जल-कष्ट-निवारणार्थ सन् ५२-५३ में प्रार्थना-पत्र

श्री नारायणलाल--क्या दलित वर्ग उत्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले के हरिजनों की ओर से जल-कष्ट के लिए कितने प्रार्थना-पत्र कहाँ कहाँ से सन् ५२ व ५३ में सरकार के पास आये ?

(ख) जो प्रार्थना पत्र आये उनके अनुसार कहाँ कहाँ और कितनी कितनी सहायता दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—(क) सन् १९५२ में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया।

(ख) सन् १९५३ में १८ प्रार्थना-पत्र आये।

इनमें से ९ प्रार्थना-पत्रों पर निम्नलिखित सहायता दी गई है :—

१. ग्राम मिरजवास व लछमनगढ़	२५०)
२. ग्राम बींदसर	३००)
३. ग्राम लालासी	२५०)
४. ग्राम पोशानी	५००)
५. श्री कृष्ण छात्रावास, सीकर	३५०)
६. ग्राम पुरोहितजी की ढ़ानी सीकर	३५०)
७. ग्राम बस्ती रेगरान, सीकर	५००)

[श्री भोगीलाल पंड्या]

८. ग्राम फतेहपुर	५००)
९. ग्राम रूलाना माली	५००)

बाकी प्रार्थना-पत्र अपूर्ण थे और उन्हें पूर्ति के लिए लौटा दिया गया है। इनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रश्न संख्या ५७८

सवाई माधोपुर के जङ्गलों में शिकारियों द्वारा जङ्गली जानवरों को मारकर कानून भंग किया जाना

श्री श्रीदास गोयल—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे—

(क) क्या सवाई माधोपुर के जंगलों में शिकारी लोग कानून भंग करके जंगली जानवरों को मारते रहते हैं ?

(ख) क्या सरकार इस प्रकार कानून भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने को व्यवस्था कर चुकी है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के नोटिस में नहीं है।

(ख) इस सम्बन्ध में कानून भंग करने वालों के विरुद्ध "Rules for the Regulation of shooting in the Jaipur state" के अन्तर्गत कार्यवाही करने की व्यवस्था विद्यमान है।

श्री श्रीदास गोयल —क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के जंगलों में इस प्रकार के शिकार प्रतिदिन होते रहते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव —मैंने जैसा कि जवाब दिया कि इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसके लिए धन्यवाद।

प्रश्न संख्या ५७९

सन् १९५४ के खरीफ में राजस्थान को भाखरा का पानी नहीं मिलना

श्री मोतीराम—क्या सिंचाई विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

Page No.15

[श्री मोतीराम]

(क) क्या यह सत्य है कि फसल खरीफ १९५४ में राजस्थान को भाखड़ा का पानी बुनियादी इकरार के अनुसार नहीं मिलेगा बल्कि बहुत कम मिलेगा और राजस्थान का हिस्सा पंजाब खपत करेगा ?

(ख) अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेवारी किस पर है ?

चन्दनमल वैद—यह सत्य नहीं है ।

श्री **मोतीराम**—क्या यह सरकार के ध्यान में है कि नहरें तैयार नहीं हुई हैं ?

श्री **चन्दनमल वैद**—काफी तैयार हो चुकी हैं और जो बाकी हैं वे तैयार हो रही हैं, पानी आने से पहले तैयार हो जायेंगी ।

श्री **मोतीराम**—उस पानी से कितनी आबपाशी होगी ?

श्री **चंदनमल वैद**—यह प्रश्न अलग से पूछिये ।

प्रश्न संख्या ४८०

भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के चित्तौड़गढ़ और कपासन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाना

श्री **जगतसिंह झाला**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के दो कस्बों, यानी चित्तौड़गढ़ और कपासन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सरकार पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है ?

(आ) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक शुरू होने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री **चन्दनमल वैद**—(अ) हाँ ।

(आ) यह कार्य पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है और योजनानुसार चित्तौड़ कपासन १० मील सड़क को पक्की बनाने का कार्य साल ५५-५६ तक हो जाने की आशा है ।

प्रश्न संख्या ४८१

झुंझुनू मेडिकल हास्पिटल में सन् १९५३-५४ में दवाइयें

श्री **महादेव प्रसाद**—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

Page No.16

[श्री महादेवप्रसाद]

(क) झुंझुनू मेडिकल होस्पिटल में सन् ५३-५४ में कितने रुपयों की दवाइयाँ भेजी गईं ?

(ख) क्या यह सही है कि वहाँ के डाक्टर साहब प्राइवेट केसेज़ में होस्पिटल की सरकारी दवाइयाँ देकर उनसे अच्छी फीस व इनाम तथा बहुधा दवाइयों के दाम भी लेते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) ३ हजार ५८ रुपये चार आने की दवाइयाँ भेजी गईं।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं पहुँची।

प्रश्न संख्या ५८२

श्री अध्यक्ष—श्रीमती यशोदा देवी।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट २ देखिये]

प्रश्न संख्या ५८३

राजस्थान में तालाबों पर व्यय की गई रकम-विशेषतया चित्तौड़ जिले में

श्री सुगनचन्द जैन—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) किस-किस जिले में इस वर्ष कितनी रकम किस-किस तालाब पर खर्च हुई है ?

(ख) चित्तौड़ जिले में टूटे हुए तालाबों के सम्बन्ध में कोई योजना दी गई थी ? उसके अन्तर्गत कितने तालाब बनाये गये ? यदि नहीं बनाये गये तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल बैद (उप मन्त्री)—इसकी सूची सदन की भेज पर रख दी गई।

(उत्तर विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेज दिया गया है।)

Page No.17

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, has a copy been supplied to the Hon,ble Member ?

श्री चन्दनमल बैद—मेम्बर साहब अब पधारे हैं, कॉपी मेरे पास तयार है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—My point of order is based on the rules, Sir, that if the answer to a question is expected to be lengthy and if the Member in-charge answering the question wants to lay it on the Table of the House, then an advance copy previously should be supplied to the Hon'ble Member. Has that rule been complied with and if not, what would be the position ?

श्री चन्दनमल बैद—What is the remedy when an Hon'ble Member is not available ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is for the Hon'ble Speaker to decide. If I had some power, I would say, the remedy is that he is a most irresponsible Minister.

श्री अध्यक्ष—There is no point of order for deciding. But still I want to make the position clear. An answer which is a lengthy one and of which a copy is to be laid on the table of the House, is to be delivered to the Member before 15 minutes and if the Member concerned is not present, then I do not think it is the duty of the Treasury Benches to search that Hon'ble Member or send the answer to his House.

श्री चन्दनमल बैद—मैं यहाँ साढ़े चार बजे मौजूद था, उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।

श्री चांदमल मेहता—मुझे भी मेरे कल के प्रश्न के उत्तर में कॉपी नहीं दी गई थी, हालां कि मैं यहाँ मौजूद था।

श्री अध्यक्ष—This is regarding Shri Sugan Chand.

कु० श्री जसवन्तसिंह—He is making a complaint about the Member, not having been supplied a copy.

श्री अध्यक्ष—No-no, it is out of question. I do not think he (Shri Baid) should send it to the residence of the Hon'ble Member if he is not here.

प्रश्न संख्या ५८४

श्री अध्यक्ष—राजा श्री मानसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये।)

Page No.18

प्रश्न संख्या ४८५

ग्राम तालाब (तहसील राजगढ़) में पटवारी के बन्ध की मरम्मत

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम तालाब, तहसील राजगढ़ जिला अलवर में पटवारी का बन्ध नाम का कोई बन्ध है ?

(ख) यदि इस नाम का कोई बन्ध है तो उसकी अब क्या हालत है ?

(ग) इस बन्ध की मरम्मत किस सन् में हुई थी ?

(घ) जब कभी इस बन्ध की मरम्मत की गई तो सरकार ने कितनी रकम इस कार्य को करने में लगाई ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) पटवारी वाला बन्ध फूटा हुआ पड़ा है।

(ग) यह बन्ध सन् १८६६ में बना और उसी वर्ष से फूटा पड़ा है ?

(घ) सरकार द्वारा इस बन्ध की मरम्मत में कोई रकम खर्च नहीं की गई।

श्री भवानीसहाय शर्मा—अब इसको दुबारा ठीक कराने का सरकार का कब का इरादा है ?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है।

श्री भवानीसहाय शर्मा— इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद—इसका जो कैचमेन्ट है वह दूसरे तालाब में जाता है। जब वही पूरा नहीं भरता है तो इसकी मरम्मत करने से क्या फायदा ?

श्री भवानीसहाय शर्मा—इसके बारे में जो रिपोर्ट आपके पास आई हो अगर वह आपके पास हो तो पढ़कर सुना दें।

Page No.19

श्री चन्दनमल वैद—इसके केचमेन्ट का पानी तालाब नामक बन्ध में आता है।

श्री भवानीसहाय शर्मा—तालाब में आवे, यही तो मैं चाहता हूँ। यही मैं चाहता हूँ कि इस केचमेंट का पानी तालाब में जावे।

श्री चन्दनमल वैद—वहाँ दो तालाब हैं एक तालाब वाला बन्ध जो पूरा नहीं भरता है और दूसरा पटवारी का बन्ध है। दोनों का पानी आने का केचमेन्ट एक ही है।

श्री भवानीसहाय शर्मा—तालाब वाला बन्ध बड़ा है तो अब तक तो पानी आता था वह बाहर चला जाता है। अगर इसकी मरम्मत हो जावे तो इस बड़े बन्ध में पानी आ सकता है।

श्री चंदनमल वैद—ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य की सूचना गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा भी हो सकता है कि माननीय मन्त्री महोदय को सूचना गलत हो।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next.

प्रश्न संख्या ५८६

श्री अध्यक्ष—श्रीमती यशोदादेवी

[प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये]

प्रश्न संख्या ५८७

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु

[प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये]

प्रश्न संख्या ५८८

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद

[श्री अध्यक्ष]

झुंझुनू व सिंघाने के बीच की सड़क निर्माणार्थ टेन्डर के अनुसार कार्य किये जाने सम्बन्धी

श्री महादेव प्रसाद—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) झुन्झुनू जिले में जो झुंझुनू व सिंघाने के बीच सड़क बनाई जा रही है, क्या उसमें सरकार के टेन्डर के अनुसार मसाला लगाया जा रहा है ?

(ख) यह सड़क पूरी बनकर कब तैयार हो जायगी ?

श्री चन्दनमल वैद—(क) जी हाँ।

(ख) इस सड़क का पूरा काम सन् १९५६ के अन्तिम दिनों तक हो सकना सम्भव है, जैसा कि पंचवर्षीय योजना में अनुमान है।

श्री अध्यक्ष—नेक्ट।

प्रश्न संख्या ५८६

ग्राम पालपुर माफी तहसील राजगढ़ में नहर की सिंचाई दर खालसा से अधिक

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम पालपुर माफी तहसील राजगढ़ जिला अलवर में जो नहर से सिंचाई होती है उसकी दर खालसा से ज्यादा है ?

(ख) जो किसान सरकारी जमीन नहर से सींचता है उसकी दर माफी तथा जागीरी इलाके से कितनी कम है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) हाँ, बन्ध व नहरें वगैरह बनाने में जो खर्चा होता है उसमें माफी व जागीर जमीन वाले कुछ हिस्सा नहीं देते हैं और सारा खर्चा खालसा जमीन वालों पर पड़ता है, इसी कारण से खालसा की निस्बत जागीरी व माफी की जमीनों पर नहर से पानी देने का रेट ज्यादा रक्खा जाता है।

(ख) करीबन आधा कम है।

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या इसी प्रकार की बात दूसरे बन्धों में होती है या खास इस सम्बन्ध में ही ऐसी बात है ?

Page No.21

श्री चंदनमल वैद—यह अलवर की बात बता रहा हूँ मैं आपको।

श्री भवानीसहाय शर्मा—मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में और जगहों पर क्या हो रहा है?

श्री चंदनमल वैद—इसके लिए अलग से प्रश्न पूछें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सदन में कुछ दिनों पहले सरकारी पक्ष की ओर से यह उत्तर दिया गया था कि विभिन्न जगहों की दरों में जो भिन्नता थी वह दूर कर दी गई, जैसे जवाई बांध आदि।

श्री चन्दनमल वैद—ऐसी सूचना मिली है कि सरकार इसको भी रिवाईज करने का विचार कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—निर्णय कब तक होने की आशा रक्खी जावे?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री धूलजी भाई।

प्रश्न संख्या ४६०

बांसवाड़ा जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ हुआ सड़क-निर्माण-कार्य

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) बांसवाड़ा जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ हुए सड़क-निर्माण-कार्यों के स्थगन का क्या कारण है?

(ख) क्या यह बात सही है कि रोड रोलर इन्जिन सरकार द्वारा न पहुँचने के कारण सड़क-निर्माण-कार्य में रुकावट पैदा हो रही है?

श्री चन्दनमलवैद (उप मन्त्री)—(क) बांसवाड़ा जिले में कोई कार्य स्थगित नहीं किया गया है।

(ख) नहीं।

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या सरकार को मालूम है कि वहाँ कार्य वैसे ही पड़ा है अभी?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बतलाया है कि यह सही नहीं है।

गतवर्ष जितना रुपया खर्च किया गया उसकी विगत मैं बता रहा हूँ आपको :—

Metalled road from Banswara to Sagwara.	४० हजार रुपये।
Partly gravelled and partly metalled road	
from Banswara to Partapgarh	४० हजार रुपये।
Kushalgarh	
Construction of road from Kushalgarh to	
the Jn. of Banswara Jalod Rd.	४० हजार रुपये।
Banswara Ratlam road up to Rajasthan border	४५,२३०) रुपये।

श्री हरिदेव जोशी—यह पैसा कितने में से खर्च हुआ?

श्री चन्दनमल वैद—इतना ही प्रोविजन था और उसमें से सभी खर्च कर दिया गया।

श्री हरिदेव जोशी—मैं कहता हूँ कि आप अपने उत्तर को ओर देख लें तो अच्छा होगा।

श्री चन्दनमल वैद—इस साल इतना ही अनुदान था और वह सब खर्च किया गया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ५६१

श्री अध्यक्ष—श्रीमती यशोदा देवी

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ५६२

श्री अध्यक्ष—श्री माधोलाल

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६३

टोंक के पॉवर हाउस के इन्जन पुराने व छोटे होने के कारण आवश्यकतानुसार बिजली की सप्लाई में कमी

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि टोंक के पॉवर हाउस के इन्जन पुराने व छोटे होने से आवश्यकतानुसार बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है ?

(ख) क्या मन्त्री महोदय यह भी जानते हैं कि सरकार ने टोंक के लिए एक बड़ा पॉवरफुल इन्जन भेजने की योजना बनाई है ?

(ग) यदि हाँ, तो सरकार कब तक बड़ा इन्जन टोंक पॉवर हाउस के लिए भेज देगी ?

श्री चंदनमल बैद (उप मन्त्री)—(क) यह सच है कि टोंक पॉवर हाउस के इन्जिन छोटे व पुराने होने के कारण वहाँ की आवश्यकता को पूर्णतया पूरा नहीं कर पाते। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसमें आवश्यक सुधार करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) टोंक रेलवे स्टेशन से पर्याप्त दूरी पर होने के कारण वहाँ पर बड़ा इन्जिन लगाने की अपेक्षा यह उपयुक्त समझा गया कि निवाई पॉवर हाउस के बड़े इन्जिन लगाकर निवाई से टोंक तक हाई टेन्शन लाइन डाली जाय। यह कार्य १९५६-१९५७ तक पूरा होने की आशा की जाती है।

प्रश्न संख्या ५६४

टोंक जिले में राजमहल के समीप बनास नदी प्रोजेक्ट के हेतु पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक कार्य

श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि टोंक जिले में राजमहल के पास बनास नदी प्रोजेक्ट के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६५ लाख रुपये की मन्जूरी हुई थी ?

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक क्या कार्य हुआ है और कब तक यह योजना पूरी होगी ?

श्री चंदनमल वैद—टोंक जिले में राजमहल के पास बनास नदी योजना के अन्तर्गत अब तक नहरों की सर्वे और नदी में चट्टान देखने के लिए बोरिंग का काम किया गया था जिस पर लगभग ५०००) रु० खर्च हुआ। अब तक जो जांच की गई है उससे ऐसा मालूम होता है कि राजमहल के नीचे से जो नहर निकालने का विचार था वह पूरा नहीं हो सका।

दूसरी जगह ऊपर की तरफ बड़ा बन्ध बनाकर बनास के पानी का उपयोग करने की दूसरी योजना तैयार करने की जाँच की जा रही है।

अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह काम कब शुरू किया जा सकेगा और कब खत्म होगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४६५

श्री अध्यक्ष—श्रीमती यशोदा देवी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ४६६

झालावाड़ में टी. बी. वार्ड खोले जाने के सम्बन्ध में शासकीय योजना

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या चिकित्सा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ जिले में टी. बी. वार्ड खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है ?

(२) क्या टी. बी. वार्ड खोले जाने के लिए जिले में उपयुक्त व जलवायु की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थान को चुना जावेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य (चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री)—(१) प्रश्न विचाराधीन है।

(२) जी हाँ, सब बातें ध्यान में रक्खी जावेंगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६७

उदयपुर जिले की सराड़ा तहसील के केजड ग्राम में तालाब से काश्तकारों की कुछ भूमि जलमग्न

श्री सोहनलाल भटनागर--क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) उदयपुर जिले की सराड़ा तहसील के केजड ग्राम में बने तालाब से काश्तकारों की कितनी जमीन पानी में डूबी है ?

(ख) जिन काश्तकारों की जमीनें पानी में डूबीं उन्हें कोई हर्जाना दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद---(क) काश्तकारों की बहुत थोड़ी जमीन डूबी है। सही आँकड़ा अभी नहीं मालूम हो सका।

(ख) यह तालाब फूटा पड़ा हुआ था। गाँव वालों की बार-बार प्रार्थना पर ही इसको दुबारा बनाया गया है। ऐसी हालतों में थोड़ी बहुत पहले से कुछ और जमीन डूब में आ जाने का आम तौर पर कोई हरजाना नहीं दिया जाता; क्योंकि पानी निकल जाने पर ऐसी जमीन में बहुत अच्छी पिछोड़ में खेती की जा सकती है, इसीलिए अभी तक कोई हरजाना वगैरह देने का सवाल नहीं उठा था। किसी खास व्यक्ति का नुकसान होता होगा तो हरजाना देने के मामले में गौर किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ५६८

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान से कमी के क्षेत्र के लिए स्वीकृत रकम-उदयपुर में विशेषतया

श्री सोहनलाल भटनागर—Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(a) How much money has been sanctioned by the Government of India for the scarcity area of Rajasthan ?

(b) Which tehsils of Udaipur District often remain famine-affected.

(c) What works and of how much cost have been sanctioned under this scheme for these tehsils ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—a) Rs. 2½ Crores.

Page No.26

[श्री सोहनलाल भटनागर]

(b) The following Tehsils of Udaipur district are usually famine striken:—

1. Girwa, 2. Kherwara, 3. Salumber, 4. Sarara, 5. Saira, 6. Lasaria, 7 Vallabhanagar, 8. Kotra, and 9. Phalasia.

(c) Under the $2^1/_2$ crore scheme for scarcity areas, no work has been proposed at present in these Tehsils. Rajasthan as a whole is considered to be a scarcity area. Works, likely to relieve scarcity in the State as a whole, are being taken up at suitable sites, and a very good position of the money is being spent in Udaipur.

प्रश्न संख्या ५६६

चित्तौड़ जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बोरावास सींगोली सड़क का निर्माण

श्री सुगनचन्द जैन—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या चित्तौड़ जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बोरावास सींगोली रोड रक्खी गई है ? यदि हाँ, तो इस साल किस सड़क पर काम हुआ है ?

(ख) यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं हुआ ?

(ग) अब कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)— (क) यह सड़क योजना में शामिल है। इस साल इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) योजनानुसार यह कार्य साल १९५५-५६ में शुरू होगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६००

सन् १९५३-५४ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित वन जातियों तथा दलितवर्ग के सहायतार्थ व्यय

श्री महादेवप्रसाद—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सन् ५३-५४ में झुन्झुनू जिले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित वन जातियों तथा दलित वर्ग के कल्याणार्थ सहायता के रूप में कितना रुपया खर्च किया गया ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.27

श्री भोगीलाल पंड्या--(क) ५०४५ रुपया ६ आने।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६०१

श्री अध्यक्ष--श्री अर्जुनसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ६०२

श्री अध्यक्ष—श्री अर्जुनसिंह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०३

जिला भीलवाड़ा में त० बनेड़ा में पाडल से शाहपुरा सड़क मिलाने के लिए बनेड़ा अपरोच सड़क का निर्माण

श्री कस्तूरचन्द--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या डि० भीलवाड़ा, तहसील बनेड़ा में पाडल टू शाहपुरा रोड में मिलाने के लिए बनेड़ा अपरोच रोड बन रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब से काम शुरू है और कब तक पूरा हो जावेगा ?

(ग) क्या इस रोड के नीचे श्मशान की पहाड़ियों से आने वाले पानी के लिए पुलिया भी बनाई जावेगी ?

(घ) इस रोड में सरकार का कितना खर्चा होगा ?

श्री चन्दनमल बैद (उप मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) इसका कार्य २२ जून, १९५३ से शुरू है और जून ५४ तक पूरा हो जावेगा।

(ग) पुलिया बन गया है।

(घ) इस पर सरकार का अनुमानित व्यय ३१,९००) रुपया होगा।

श्री कस्तूरचन्द--यह टुकड़ा कितना मील लम्बा है ?

(उप मन्त्री द्वारा उत्तर न मिलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--यह टुकड़ा कितना मील लम्बा है ?

श्री चन्दनमल वैद--इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप देख किसे रहे थे ?

श्री चन्दनमल वैद—मैं देख रहा था सप्लीमेंटरी नोट्स को कि उनमें से यह जानकारी मिल जाय।

श्री कस्तूरचन्द--यह टुकड़ा पौन मील है। मजदूरों को पैसा नहीं चुकाने की वजह से यह ऐसा ही पड़ा रह गया है, पर, अब यह कब तक तैयार हो जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद--मैंने यह तो बतलाया कि २२ जून से कार्य शुरू हुआ और जून ५४ में यह कार्य समाप्त हो जावेगा।

प्रश्न संख्या ६०४

खाद्य तथा औषधियों में मिलावट

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister-incharge, Medical and public Health be pleased to state ?

(a) Is the Government aware that large scale adulteration of food and medicines is going on in Rajasthan ?

(b) What steps have been taken by the Government to check these anti-social practices ?

(c) How many cases of adulteration of food and medicines respectively have been caught by the Government during 1953 ?

श्री कुम्भाराम आर्य (चिकित्सा तथा स्वास्थ्य मन्त्री)—

(क) ऐसी शिकायतें मिलती हैं।

(ख) भूतपूर्व राज्यों में खाद्यपदार्थों में मिलावट को रोकने के कानून जो थे वे अब भी वहाँ लागू हैं। सम्पूर्ण राजस्थान के लिए एक कानून बनाने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी और उसने कार्य भी किया, किन्तु इस दिशा में प्रगति नहीं हो सकी; क्योंकि भारत सरकार संपूर्ण भारत के लिए एक कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ग) ३०६८।

Page No.29

प्रश्न संख्या ६०५

हाई स्कूल तिजारा (जिला अलवर) में इस वर्ष हरिजनों के लड़के

श्री घासीराम—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(क) हाई स्कूल तिजारा जि० अलवर में इस साल हरिजनों के कितने लड़के किन-किन जमातों में पढ़ते हैं ?

(ख) पिछले साल उक्त हाई स्कूल में इनकी क्या संख्या थी ?

(ग) पिछली साल और इस साल कितनी कितनी छात्रवृत्ति किन-किन को दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलितवर्ग उत्थान मन्त्री)—

[क] दसवी कक्षा ४
आठवीं कक्षा १
सातवीं कक्षा १
छठी कक्षा १
७

[ख] दसवीं कक्षा २
नवीं कक्षा ४
सातवीं कक्षा १
७

[ग] सन् १९५२—५३

१. रामचन्द्र चमार कक्षा १० १०) माहवार
२. भगवानदास चमार कक्षा १० १०) ,,

सन् १९५३-५४ माहवार छा० वृ०

१. सुखराम पुत्र नानगराम चमार कक्षा १० १०)
२. दीपचन्द पुत्र बुधाराम चमार कक्षा १० १०)
३. रामजीलाल पुत्र शिवचन्द कक्षा १० १०)
४. रामचन्द्र पुत्र उमराव कक्षा ८ ५)

Page No.30

श्री भोगीलाल पंड्या]

५. लीलाराम पुत्र चुन्नीलाल कुम्हार कक्षा ७　　५)
६. सत्येन्द्र पुत्र फूलसिंह चमार कक्षा ६　　५)

श्री घासीराम—यह रुपया कब दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं समझता हूँ मार्च महीने में।

प्रश्न संख्या ६०६

राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों के प्रोजेक्ट

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या मन्त्री, सामुदायिक विकास योजना विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे—

[१] राजस्थान में कुल कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ?

[२] उनमें से अनुसूचित जन-जातियों में कितने चल रहे हैं ?

[३] राजस्थान में क्या ये प्रोजेक्ट काफी हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—(१) राजस्थान में कुल ६ सामुदायिक योजना और १२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र हैं।

(२) इनमें से एक सामुदायिक योजना और दो विस्तार सेवा क्षेत्र अनुसूचित जन-जातियों में चल रहे है।

(३) नहीं।

प्रश्न संख्या ६०७

तहसील पचपदरा में ग्रामीण जनता के पेय-जल सम्बन्धी शासकयी योजना

श्री मोटाराम—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) तहसील पचपदरा में ग्रामीण जनता के पीने के पानी के लिए सरकार की तरफ से क्या योजना हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) यदि कोई योजना है तो क्या वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ली गई है ?

श्री चन्दनमल वैद--(क) इस विभाग में कोई योजना नहीं है।

[ख] प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री मोटाराम—क्या सरकार को यह मालूम है कि...[अश्रव्य]

श्री चन्दनमल वैद--मैंने बताया कि इस विभाग में कोई योजना नहीं बनी है।

श्री रोशनलाल—क्या सरकार कोई योजना बनाने को तैयार है?

श्री चन्दनमल वैद—स्वायत्त शासन विभाग इसके वास्ते योजना बनाता है और कुछ पैसा मैं समझता हूँ खर्च भी हुआ है।

श्री मोटाराम—क्या सरकार को मालूम है कि पचपदरा तहसील में पानी की बड़ी कमी है और पीने के पानी के लिए ४-५ मील जाना पड़ता है

श्री चंदनमल वैद—मेरे पास सूचना है कि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा २६,२००) की रकम खर्च हुई है।

प्रश्न संख्या ६०८

बालोतरा से आसोतरा मेला व खांडप तक सड़क बनाने की शासकीय योजना

श्री मोटाराम—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

[क] क्या बालोतरा से आसोतरा मेला व खांडप तक सरकार के सामने कोई सड़क बनाने की योजना रखी गई थी?

[ख] यदि हाँ, तो उस योजना का क्या हुआ?

[ग] क्या सिवाणा तहसील में कोई सड़क है? यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं बनाई गई?

श्री चंदनमल वैद—[क] इस सड़क को बनाने का सुझाव सरकार के पास भेजा गया और उसकी जाँच भी की गई है?

[ख] अन्य अधिक महत्त्वपूर्ण व आवश्यक सड़कों के कारण इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दी जा सकी।

[ग] सिवाणा से बालोतरा तथा सिवाना से मौकलसर तक ग्रेवल रोड बनी हुई है।

Page No.32

श्री मोटाराम—सरकार ने इस सड़क को पंचवर्षीय योजना में क्यो नहीं लिया है।

श्री चंदनमल वैद—मैंने अभी माननीय सदस्य को बताया कि दूसरे महत्वपूर्ण काम होने के कारण इसको हाथ में नहीं लिया जा सका।

प्रश्न संख्या ६०६

देहात के औषधालयों में अस्पताल से बाहर देखने जाने की डॉक्टरों की फीस

श्री सम्भूसिंह—क्या मन्त्री, स्वास्थ्य तथा मेडिकल विभाग उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) देहात के अस्पतालों के डॉक्टर बीमारों को देखने वास्ते गाँवों में जाते हैं या नहीं ?

(ख) होस्पिटल के बाहर जाने पर डॉक्टरों की फीस के दूरी और समय के अनुसार क्या नियम है और कम्पाउन्डरों की फीस कितनी नियत है ?

(ग) क्या नियत फीस देकर ग्रामीण व्यक्ति डॉक्टरों और कम्पाउन्डरों को बुला सकते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) आवश्यकतानुसार जाते हैं।

(ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इस सम्बन्धी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या मेज पर रखी गई है ? यह १५ मिनट पहले मुझे क्यों नहीं दी गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आपको भी मिल जायगी।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—सप्लीमेंट्री किस आधार पर करूँ ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जब यह लिस्ट आई होगी, तब आप मिले नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष—पढ़कर सुना दीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य—१. स्पेशलिस्ट जिसकी पे ७५० रु० से अधिक है — २० दिन के लिए और ३० रु० रात के लिए।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

२.	स्पेशलिस्ट जिसकी पे ७५० रु० से कम है	१५ रु० और २० रु०
३.	दूसरे मेडीकल ऑफिसर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट मेडीकल ऑफीसर्स के ओहदे के हैं	१० रु० और १५ रु०
४.	सिविल असिस्टेन्ट सरजन ४०० रु० से ऊपर	७ रु० और १० रु०
५.	,, ,, ,, से कम	५ रु० और ७ रु०
६.	सेकन्ड क्लास सिविल असिस्टेन्ट सरजन	३ रु० और ५ रु०
७.	बी. पी. एन. ए. की योग्यता की नर्सेज दाइयें और प्रथम ग्रेड के कम्पाउन्डर	२ रु० और ४ रु० और पूरे दिन के काम की फीस १० रु० और रात की १५ रु०
८.	दाइयें जुनियर नर्सें और दूसरी श्रेणी के कम्पाउन्डर	२ रु० और ४ रु० और पूरे दिन के काम की फीस ५ रु० और रात की फीस ८ रु०
९.	नर्सें और कम्पाउन्डर्स ग्रेड थर्ड एन्ड फोर्थ	१ रु० और १॥ रु०

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—नियत फीस से डॉक्टर अधिक फीस माँग लेते हैं और अगर रोगी नहीं देता है तो वह जाने से इन्कार कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष— (प्रश्न दोहराते हुए) अधिक फीस माँगते हैं और नहीं देते हैं तो जाने से इन्कार कर देते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसी अगर कोई शिकायत मिलेगी तो उसको सख्त सजा देंगे।

प्रश्न संख्या ६१०

मेली बाँध (तहसील सिवाणा) के जीर्णोद्धार संबन्धी योजना

श्री मोटाराम—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे—

[क] क्या सरकार के पास मेली बाँध तहसील सिवाणा, जिला बाड़मेर को दुरस्त करने की कोई योजना है ?

Page No.34

[श्री मोटाराम]

[ख] क्या छप्पन के पहाड़ों का पानी भी इस बाँध में घेरा जायगा ?

[ग] यदि ऐसी कोई योजना है तो वह कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—[क] नहीं।

(ख) इसकी जाँच की जा रही है।

(ग) यह सूचना जाँच का कार्य पूरा होने पर दी जा सकेगी।

प्रश्न संख्या ६११

चौमहला पचपहाड़ (जिला झालावाड़) सड़क का काम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होने पर भी बन्द होना

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे—

(क) चौमहला पचपहाड़ रोड (जिला झालावाड़) का काम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ले लिए जाने के बावजूद भी बन्द क्यों है ?

(ख) उक्त सड़क कितने मील तक बनी है।

(ग) बाकी का कार्य कब आरम्भ किया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—(क) यह कार्य चालू वर्ष के शुरू में आरम्भ किया गया था और उसके बाद बन्द हो गया। इसको पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

(ख) करीब १२ मील सड़क पक्की बनी हुई है और ३८ मील कच्ची है।

(ग) बाकी के कार्य को आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है, आशा है कि इस साल कार्य फिर शुरू हो जायगा ?

प्रश्न संख्या ६१२

जयपुर नगर के विशेष भाग में बिजली के सुचारु प्रबन्ध की आवश्यकता

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister for Public Works Department be pleased to state :—

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

(a) Is it a fact that the voltage in the supply of electric energey to a part of the Jaipur City within the walls is dropped, while it is not done in other parts, specially in the Civil Lines ?

(b) If so, what are thereasons for such a discrimination ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(a) This is not correct.

(b) The question does not arise.

प्रश्न संख्या ६१३

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ६१४

जयपुर नगर के कुछ भाग में विद्युत् शक्ति की पूर्ति के लिए ५० से ६० साइकल्स में परिवर्तन

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister for Public Works Depa-rtment be pleased to state :—

(a) Is it a fact that very often the supply of electric energy to a part of the Jaipur City is altered to 60 cycle instead of the usual 50 cycle ?

(b) Is he aware that the alteration from 50 cycle to 60 cycle cause the metres to run faster ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(a) No.

(b) The question does not arise.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Has an enquiry been made ?

श्री चन्दनमल वैद—Alteration is not possible as it requires a heavy machinery.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Is not the Minister aware that there has been re-winding of the machinery ?

श्री चन्दनमल वैद–Re-winding wo'nt do. It requires a heavy machinery and appliance and these have not been provided. Therefore, the question of enquiry does not arise.

प्रश्न संख्या ६१५

जुडीशियल कार्य करने वाले एक्जीक्युटिव अधिकारी

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल–Will the Law Minister be pleased to state :-

(a) What is the number of Executive Officers still performing judicial functions in the State ?

(b) What is the expected latest date when the provisions of Article 50 of the Constitution of India would be complied with fully.

श्री चन्दनमल वैद—(क) १६ आर० जे० एस० पदाधिकारियों के अलावा जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट लगाये गये हैं बाकी सभी मजिस्ट्रेसी एक्जीक्युटिव अफसरों द्वारा चलाई जा रही है। राजस्व सम्बन्धी जुडीशियल कार्य भी एक्जीक्युटिव अफसरों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) इसके लिये समय की कोई अवधि निश्चित नहीं की जा सकती। अभी मौजूदा अवस्था में जुडीशियरी को पूर्णरूप से पृथक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह विषय अभी भी विचाराधीन है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—संविधान के आर्टिकल ५० के अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने अभी बतलाया कि १६ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स बना दी गई है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—यह तो अब तक की की गई कार्यवाही है, आगे क्या कार्यवाही की जायगी; यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री चन्दनमल वैद—जो यह कार्यवाही की गई है उसका नतीजा देखने के बाद आयन्दा कार्यवाही की जायगी।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—विधान के आर्टीकल ५० में जो चीज दी गई है उस पर क्या आपको विश्वास नहीं है कि जिसकी वजह से नतीजा देखना आवश्यक हो ?

श्री चन्दनमल वैद—आर्टीकल ५० में यह पाबन्दी नहीं है कि आज ही कर दिया जाय। जैसी-जैसी स्टेट की स्थिति हो उसको देखकर काम किया जाय।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—राजस्थान स्टेट की कोई ऐसी विशेष स्थिति है कि विधान के आर्टीकल ५० का पालन नहीं किया जाय; राजस्थान की ऐसी क्या विशेष स्थिति है, मैं जानना चाहता हूँ ?

Page No.37

श्री चन्दनमल वैद—उस पर पालन किया गया है, १६ कोर्टस इसीलिए बना दी गई है। बाकी आगे धीरे-धीरे बनाई जायगी।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—धीरे में कब तक, क्या पालिसी है; इसके बारे में जानना चाहता हूँ ?

श्री चन्दनमल वैद—पोलिसी का स्टेटमेंट एक प्रश्न के जवाब में नहीं दिया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य—उन १६ कोर्टस का नतीजा ठीक नहीं रहा, तो क्या आर्टीकल ५० के खिलाफ उनको हटा दिया जायगा।

श्री चन्दनमल वैद—इतना निराश होने की जरूरत नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—सरकार को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह विधान का पालन करे। इसलिये हम जानना चाहते हैं कि विधान का पालन किया जा रहा है या नहीं।

श्री चन्दनमल वैद—विधान का पालन बराबर किया जा रहा है और १६ कोर्टस बनाये गये हैं।

श्री रामदयाल—इसके लिये एक्सपेरिमेंट करने की क्या आवश्यकता है, जैसा कि अभी आपने कहा था ?

श्री चन्दनमल वैद—१६ कोर्टस तो बना दिये गये हैं और बाकी के लिए आगे विचार किया जायगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—वह विचार क्या है, यह जानना चाहते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—और कोर्टस की आवश्यकता होगी तो बनाये जायेंगे।

श्री रामदयाल—क्या यह सही है कि इस प्रकार की नई कोर्ट्स कायम करने के लिये केबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है।

श्री चन्दनमल वैद—मैं समझता हूँ केबिनेट की बात यहाँ बताना उचित नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—जहाँ मुन्सिफ्स हैं वहाँ उनको मेजिस्ट्रीरियल पॉवर्स देने में क्या रुकावट है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह बहुत सी बातों पर निर्भर है, केवल इसी बात पर नहीं कि वहाँ मुन्सिफ हैं इसलिये उनको पॉवर्स भी दे दिये जाँय। वहाँ की क्या हालत है, इस पर भी ध्यान देना होगा।

श्री रामदयाल—लोगों को जो असुविधा होती है क्या वह ध्यान में नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद—असुविधा का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल मुकद्दमों की सुनवाई के लिये दूसरे आदमी मौजूद हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, यह सवाल इतने महत्व का है कि इसका जवाब देने में माननीय उपमन्त्रीजी को दिक्कत आती है और जोर भी आता है; इसलिये उचित है कि माननीय मुख्य मन्त्री इस पर प्रकाश डालें।

एक सदस्य—ये जो १६ कोर्टस खोले गये हैं वे आवश्यकता को देखकर खोले गये हैं।

श्री चन्दनमल वैद—आवश्यकता देखकर ही खोले गये हैं।

श्री रामदयाल—क्या और जगहों पर इनकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद—दूसरी जगहों के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आवश्यकता का सम्बन्ध उप-चुनावों की तिथि से भी था ?

श्री चन्दनमल वैद—यह आपकी कल्पना है।

श्री सोहनलाल भटनागर—जहाँ ये कोर्ट्स बनाये गये हैं उनका नतीजा कैसा रहा ?

श्री चन्दमल वैद—ठीक रहा।

प्रश्न संख्या ६१६

बीगोद त्रिवेणी संगम पर सार्वजनिक यातायात को सुगम बनाने में खर्चा

श्री जयसिंह—क्या मन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) बीगोद त्रिवेणी संगम पर आम यातायात (पैदल, बस सर्विस) को सुगम बनाने के लिये संयुक्त राजस्थान के समय खुरा बनाने में कितनी रकम खर्च हुई ?

२) क्या यह काम पूरा हो गया ?

(३) यदि नहीं, तो लगी रकम का ठीक तरह से उपयोग व जनता के आवागमन को सुलभ बनाने के लिए यह अपूर्ण कार्य कब तक सम्पूर्ण करा दिया जायगा ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—बीगोद त्रिवेणी संगम पर खुर्रा बनाने में अब तक जो रकम खर्च हुई है उसका वार्षिक विवरण इस प्रकार है :

[श्री चन्दनमल वैद]

१.	१६४८–४६	......	१४,४६७ रु० ५ आ० ६ पा०
२.	१६४६–५०	......	१६,६०६ रु० ० आ० ६ पा०
३.	१६५०–५१	......	१०,०६३ रु० ६ आ०
४.	१६५१–५२	......	५८७ रु० ७ आ०
५.	१६५२–५३	......	२६ रु० ३ आ० ६ पा०
६.	१६५३–५४	......	४२ रु०
		कुल योग रु०	४४,७६६ ६ आ० ६ पा०

(२) यह काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ।

(३) इस कार्य के लिए टेक्निकल जाँच हाथ में है। बोरिंग करके जमीन के नीचे की सतह की जाँच चालू है। टेक्निकल जाँच के उपरान्त यह कार्य हाथ में लिया जायगा।

(४) सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रोशनलाल—आपने अभी बताया कि इतना खर्चा हुआ। क्या टेक्निकल जाँच पूरी हुई या नहीं?

श्री चन्दनमल वैद—यह एक भूतपूर्व स्टेट की बात है। पहले कितना खर्चा हुआ या क्या-क्या कार्य हुआ, यह मैं निश्चितरूप से नहीं बता सकता, लेकिन टेक्निकल जाँच जारी है।

प्रश्न संख्या ६१७

ग्राम टोडाभाटा तहसील स० जयपुर के हरिजनों को सवर्णों द्वारा सताया जाना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम टोडाभाटा, तहसील सवाई जयपुर के ४० हरिजन चमार परिवार सवर्ण लोगों द्वारा काफी सताये जाने पर अपने गाँव से निकल आये है और वे सब बस्सी रेल्वे स्टेशन के पास काफी अर्से से खुले जंगल में पड़े हुए हैं?

(ख) यदि यह सत्य है तो क्या राज्य सरकार ने उनकी किसी प्रकार आर्थिक मदद की? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में उन्हें कहीं जमीन देने एवं बसाने के लिये उचित व्यवस्था करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलितवर्ग उत्थान मंत्री)--(क) नहीं। हरिजन परिवार अपनी इच्छानुसार बस्ती रेलवे स्टेशन के पास बस गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नियमानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--क्या सरकार को यह पता है कि उन्होंने जमीन के लिए माँग की थी?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने कहा था कि नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए जमीन मिल जायगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--कितने वर्षों में मिलेगी, ५ वर्ष में या १० वर्ष में?

श्री भोगीलाल पंड्या--सरकार की यह नीति है कि जो भूमिहीन हैं उनको जमीन पहले दी जायगी। यदि नियमानुसार कोई प्रार्थना-पत्र आयेंगे तो उन पर अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आये?

श्री भोगीलाल पंड्या--एक प्रार्थना-पत्र आया था जिसे रेवेन्यु विभाग में भेजा है?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--क्या उसके अलावा और कोई प्रार्थन-पत्र नहीं आये?

श्री भोगीलाल पंड्या-यदि आप बतावें कि किन-किन विभागों में दिये हैं तो उनको पूछा जा सकता है क्योंकि प्रार्थना-पत्र देने वाले यह नहीं जानते कि सही तरीके से कहाँ प्रार्थना-पत्र देना चाहिये?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--क्या यहाँ के कलेक्टर महोदय से जानकारी प्राप्त की गई?

श्री भोगीलाल पंड्या--इस बारे में मैंने कलेक्टर से काफी बात-चीत की थी क्योंकि पहले ऐसा समझा गया था कि हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं। लेकिन उनसे मालूम हुआ कि कोई और तरह की बात नहीं है। केवल जमीन की माँग की है उस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--क्या हम आशा करें कि पहले हरिजनों को दी जायगी और फिर दूसरों को?

श्री भोगीलाल पंड्या--जरूर।

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्थान सरकार यह सोच रही है कि भूमि-हीन लोगों को पहले जमीन दी जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा ऑर्डर निकाला जा चुका है और कलेक्टरों के पास पहुँच गया है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस सम्बन्ध में प्रोग्रेस रिपोर्ट माँगी जा रही है कि किस प्रकार जमीन दी गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऑर्डर निकले अभी थोड़ा ही समय हुआ है, इसलिए किसी तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई।

श्री रोशनलाल—थोड़े समय से क्या मतलब ?

श्री भोगीलाल पंड्या—२ महीने।

श्री रोशनलाल—क्या दो महीनों में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रोग्रेस हो रही है। सैकड़ों बीघा जमीन दी जा चुकी है, लेकिन पूरी सूची मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रोशनलाल—किन-किन जिलों में जमीन दी जा चुकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भरतपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में दी गई है।

श्री मोतीराम—गंगानगर जिले में दी गई है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस बारे में आपको मेरे से ज्यादा जानकारी होगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या हरिजनों से जमीन छीन ली गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने नहीं छीनी है। यदि माननीय सदस्य बतायेंगे कि किसने छीनी है, तो एक्शन लिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने समय बाद सरकार ने प्रगति रिपोर्ट माँगी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी ऑर्डर दिये गये हैं इसलिये अभी ही रिपोर्ट मँगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बैकवर्ड क्लासेज डिपार्टमेंट हर तरह की कोशिश कर रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने ऑर्डर दे दिया है इसलिए काम हो ही जायगा, क्या ऐसा मान लिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा मान लेना चाहिये। यदि कोई शिकायत आयगी तो उसके खिलाफ कदम भी उठाया जायगा।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री चन्द्रकान्त राव (वि० सं० २६) ने दिनांक १८-५-५४ से दिनांक ४-६-५४ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

गंगनहर क्षेत्र-सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक स्थगन का प्रस्ताव माननीय श्री जसवन्तसिंहजी ने दिया है और वह मैं पढ़ देता हूँ :

"I hereby give notice of my intention to ask leave on the following motion for adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance :—

'This House do now adjourn to discuss the serious situation having been created for the last two months resulting in arrest of hundreds of persons in Gang Canal Colony, Bikaner Division, due to the action of the Government in enhancing water rates in that region.'

मैं समझता हूँ कि इससे कुछ भिन्न किन्तु इसके सदृश एक एड्जॉर्नमेंट मोशन कल भी मूव हुआ था और जिसके ऊपर मैंने गवर्नमेंट को जवाब देने के लिये कहा था, वह जवाब भी दिया जा चुका है। यह मैटर इस योग्य नहीं है कि इसके लिये सभा की कार्यवाही स्थगित की जाय और इसको डिस्कस किया जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या सरकार इस विषय पर और पूरी तरह से रोशनी डालने के लिये तैयार है, क्योंकि गंग केनाल कोलोनी और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एक बोर्डर की जगह है और वहां इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं जो कि एक बोर्डर की जगह होना राजस्थान के लिये अच्छा नहीं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूँगा कि वे इस स्थिति को सुधारने की कोशिश करें, वरना यदि हालत गिरती जायगी तो एक वक्त ऐसा आयेगा जब बीकानेर को खुशी होगी कि वह राजस्थान से अलग हो।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मेरा खयाल है कि कल मेरे सहयोगी सिंचाई

[श्री जयनारायण व्यास]

मन्त्री, श्री टीकाराम पालीवालजी ने जो वक्तव्य दिया है वही काफी होना चाहिये था। और उसके बाद में यह स्थगन प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। फिर भी माननीय श्री कुँ० जसवन्तसिंहजी ने जो यह स्थगन प्रस्ताव रखा है, उससे मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ है।

श्री अध्यक्ष—वे यह चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर और प्रकाश डाले।

श्री जयनारायण व्यास—स्थिति पर प्रकाश कल डाला जा चुका है, इसलिये मैं सिर्फ दो-एक बातें ही बताऊँगा।

आबियाने की वृद्धि की वजह से उसका विरोध करने के लिये यह आन्दोलन चलाया जा रहा है, ऐसा कहना सत्य नहीं है। अगर आबियाने की वृद्धि के विरोध में यह आन्दोलन होता तो ६५ फी सैकड़ा आबियाना वसूल नहीं होता, जो कि वसूल हो चुका है।

फिर जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों में ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनका आबियाने से कोई ताल्लुक नहीं है और इसमें आबियाना ज्यादा जिम्मेदार नहीं, बल्कि पोलिटिक्स ज्यादा जिम्मेदार है।

कुँ० जसवन्तसिंहजी ने बोर्डर स्टेट की बात कही कि बोर्डर इलाका होने की वजह से वहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। यह ठीक है। बोर्डर का इलाका होने की वजह से कई लोगों की आंखें उस इलाके पर हो भी सकती हैं। यह भी कारण हो सकता है कि वहां अशान्ति पैदा की जाय, ताकि उस इलाके के दूसरी जगह जाने की हवा (वातावरण) पैदा हो सके। परन्तु, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिम्मेदार व्यक्ति तो इस आन्दोलन में शरीक होंगे नहीं और गैर जिम्मेदार व्यक्तियों का इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं, जिससे कि यह बोर्डर इलाका हमसे छीना जाय या प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो जाय। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने वाली है।

इसकी सीरियसनेस तभी बढ़ेगी जब कि हम इस ओर ज्यादा ध्यान देंगे। इसलिये इसे सरकार पर ही छोड़ देना चाहिये। सरकार इस बारे में सतर्क है और वह इस स्थिति को संभाल लेगी, ऐसी आशा रखनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—श्री कुम्भाराम।

श्री हरिमूल चन्द्रानी की गांधी औषधालय जोधपुर में मृत्यु सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री महोदय का वक्तव्य

श्री कुम्भाराम आर्य (चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य मन्त्री)—श्री हरिमूल चन्द्रानी १३ मई, १९५४ को ११-४५ पर भरती हुए। डा० बोका ओझा ने उन्हें उसी समय देखा और डॉ० मेहता को दिखलाया। उस समय उनका तापमान ९९° था व नाड़ी की गति ९४ थी। Acute Appendicitis फोड़े बनने की शुरूआत सहित रोग का निदान निर्धारित किया गया। अतः उसी समय ड्राईक्रिसटिस तीन (पेनेन्सिलीन-स्ट्रेप्टोम्यान) का इन्जेक्शन दे दिया गया और खून की उसी

[श्री कुम्भाराम आर्य]

समय जांच कराई गई। रक्त की जांच की रिपोर्ट दो-तीन घंटे में आ गई जिससे श्वेत कणों (डब्लू० बी० सी०) को गणना १४००० और पोली मोर्फ ६० प्रतिशत पाया गया जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि रोग एपेन्डीसाइटिस था। १३ की शाम को ६ बजे उसको ठण्ड लग कर १००° बुखार हुआ। डा० ब्रोका, डॉ० मेहता व डा० ओझा ने उसे देखा और कुनीन इन्जेक्शन दिया। उस समय ओपरेशन करना उचित नहीं समझा गया और १४ की सुबह के लिये स्थगित कर दिया।

१४ की सुबह ८ बजे डा० ब्रोका व डाक्टर मेहता ने देखा तो तापमान १०१ था। १० बजे ऑपरेशन थियेटर में बीमार लाया गया और डाक्टर ओझा ने ओपरेशन से पहले जांच की और ओपरेशन को स्थगित करना उचित समझा क्योंकि उनके विचार से पेनेन्सिलीन इत्यादि के इन्जेक्शन से फोड़े का ठीक होना सम्भव था और रोग में किसी प्रकार की वृद्धि व विशेष उलझन भी नहीं हुई थी। पेनेन्सिलीन के इन्जेक्शन चार-चार घंटे पश्चात् नियमानुसार दिये जाते रहे। शाम को ६ बजे फिर तीनों उपरोक्त डॉक्टरों ने देखा। उस समय तापमान १०० अर्थात् सुबह से एक डिग्री कम था और रोगी की हालत पहले से कुछ ठीक थी। इसके कुछ समय पश्चात् बीमार को ठण्ड लग कर बुखार चढ़ना शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कुनीन इन्जेक्शन देना उचित समझा किन्तु इनके उपरान्त भी बुखार चढ़ता गया और रात्रि के ६ बजे १०८.२° तक पहुँच गया। बुखार उतारने के हर प्रकार के साधन उपयोग में लाये गये किन्तु अत्यन्त खेद से कहना पड़ता है कि दूसरे दिन सुबह ५ बजे के लगभग उनका स्वर्गवास हो गया। डे ड्युटी व नाइट ड्यूटी के डाक्टर व कम्पाउन्डर रोगी को हर समय देखते रहे।

उपरोक्त कथन से प्रतीत होगा कि बीमार की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई।

श्री संतोषसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्रीजी ने जो कुछ भी कारण बताये हैं उनके बारे में मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं।

श्री अध्यक्ष—सवाल पूछ लीजिए।

श्री संतोषसिंह—सवाल मैंने पहले ही दे दिये थे, उनका उत्तर उसमें नहीं आया है।

माननीय अध्यक्ष,............

श्री अध्यक्ष—Order please! आपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा ६८ के अनुसार कोई भी वक्तव्य पब्लिक इम्पोर्टेन्स के मामले पर मिनिस्टर दे सकते हैं, परन्तु जब वह वक्तव्य देते हैं तो उसके बाद ही प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अभी आप इस वक्तव्य को देखकर फिर केवल प्रश्न करें।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अगर वक्तव्य इन्कम्प्लीट हो और सही इत्तिला नहीं दी जाय और जो प्रश्न पूछे गये हैं उनके बजाय और ही बातों का उत्तर दे दिया जाय तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न इसलिये किये जाते हैं कि वक्तव्य में जो बातें नहीं आई हैं उनके लिये प्रश्न पूछा जाय। उस प्रश्न के उत्तर में भी अगर पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हाफ एन अवर डिस्कशन रेज़ किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, sir, rule 68 applies to a case when the Minister wants to make a statement after obtaining the consent of the Speaker. But in this particular case the Hon'ble Speaker has orderd him to make a statement and as such this rule con-not apply. I, therefore, think that questions are permissible.

श्री अध्यक्ष—No, (अल्प-विराम) Bills for consideration.

राजस्थान भू-दान-यज्ञ विधेयक, १९५४ (खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—अब हम राजस्थान भूदान-यज्ञ बिल, १९५३ को क्लॉज वाई क्लॉज लेते हैं।

क्लॉज दो, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—श्री अध्यक्ष, क्लॉज २ में सब क्लॉज (१) पार्ट (ए) में मेरा यह एमेंडमेंट है कि पूरा का पूरा पार्ट (ए) हटा दिया जावे और उसकी एवज में निम्नलिखित सब क्लॉज (ए) बढ़ा दिया जावे। मेरे प्रस्ताव का सब क्लाज (ए) इस प्रकार है :

" 'Bhoodan' means any movement for acquisition of land through voluntary gifts with a view to distribute it to landless persons."

इसकी परिभाषा में पहले तो 'यज्ञ' शब्द जो है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और कम से कम कानून में तो इस प्रकार से अनडिज़ायरेबल वर्ड्स को हम इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए इनको हटा दिया जावे। इसीलिए मैंने यह सदन के सामने प्रस्तुत किया है और दूसरी तबदिली सब क्लॉज में यह है कि भूदान आन्दोलन की परिभाषा में यदि यह लिख दिया जावे कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया जाने वाला जो आन्दोलन है यह कानून इसी आन्दोलन के लिए लागू होगा तो माननीय अध्यक्ष, यह सिर्फ अन्याय ही नहीं होगा बल्कि मेरा यह खयाल है कि विधान के अन्तर्गत एक डिस्क्रमीनेशन भी होगा। यह बात सही है कि जिस प्रकार आचार्य विनोवा भावे ने वोलेन्टेरी गिफ्ट देने के लिए यह आन्दोलन किया है, मुमकिन है देश में और कोई दूसरे लोग, यदि कोई पार्टी आगे न आवे, गाँव के पंचायत के लोग ही निकल आवें या और भी दूसरे लोग निकल आवें और कहें कि वोलेन्टेरी गिफ्ट के रूप में जमीन दी जावे, जिससे जमीन का सदुपयोग हो पावे। जब यह कानून

Page No.46

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ही इस प्रकार के आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया जा रहा है, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष, कि इसे आचार्य विनोबा भावे तक ही क्यों सीमित रखा जा रहा है। यदि इसे विनोवा भावे तक ही सीमित रखा जावेगा तो इसका तात्पर्य यह होगा कि विनोबा भावे लोगों को कहेंगे कि जमीन दो और उनके कहने के मुताबिक जमीन मिल गई तब तो ठीक है और यदि विनोवाजी के कहने से जमीन नहीं दी और किसी तहसीलदार या अन्य किसी के कहने से देता है तो उस जमीन का वितरण इस कानून के अनुसार किस प्रकार हो सकेगा, या कोई किसान आगे आवे और यह कहे कि मैं आचार्य विनोवा भावे के कहने से जमीन नहीं देता हूँ; मैं अपनी मर्जी से जमीन देना चाहता हूँ तो फिर इस कानून का इन्टरप्रिटेशन क्या लगाया जावेगा। यदि भूदान की परिभाषा में यह कह दें कि जो आन्दोलन एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया, उसके लिए लोगों को वोलेन्टेरी गिफ्ट देने के लिए तैयार होना चाहिये, यहाँ तक तो ठीक है; मगर साथ साथ आप यह भी चाहते हैं कि विनोवाजी के नाम की दुहाई की तैयारी भी होनी चाहिये, तो मैं यह समझता हूँ कि यह ठीक नहीं होगा और यह डिस्क्रिमिनेशन भी होगा और मैं समझता हूँ कि इसमें कानूनी अड़चन भी होगी। इसलिये मैंने यह एमेन्डमेंट सदन के सामने पेश किया है।

श्री भैरूँ सिंह [१६]—माननीय अध्यक्ष महोदय, भूदान-यज्ञ की परिभाषा लिखी है जो वह इस प्रकार है: " 'Bhoodan Yagna' means the movement initiated by Shri Acharya Vinoba Bhave for acquisition of land through voluntary gifts with a view to distribute it to landless persons." इसमें माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन यह है कि इस क्लॉज में " 'Bhoodan' means the movement for acquisition of land through voluntary gifts with a view to distribute it to landless persons." शब्द हों और शब्द 'Acharya Vinoba Bhave' डिलीट कर दिये जावें।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अभी मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास ने बताया कि यह किसी प्रकार का मूवमेंट है। इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि भूदान में प्रत्येक नागरिक अपना हिस्सा बढ़ाये। यह हिस्सा चाहे आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा पर हो या व्यक्ति विशेष की स्वयं की प्रेरणा से हो और जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की मर्जी से भूदान करता है तो उसका प्रबन्ध कार्य-प्रणाली के बिना कैसे हो सकता है। यदि इस प्रकार की कार्य-प्रणाली रही और उस भूमि को कानून के अन्तर्गत नहीं लिया गया तो भूदान का जो वास्तविक तथ्य है वह चला जावेगा। इस प्रकार और कई लोग भी अपनी जमीन से मोह छोड़ कर अपने देश-भाइयों के लिए, जो भूमि-हीन हैं, अपनी जमीन का त्याग करेंगे और मैं समझता हूँ कि इससे इस आन्दोलन को समर्थन करते जा सकेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको

[श्री भेरूँसिंह (वि० स० १६)]

इस प्रकार भूदान में हासिल की हुई जमीन दी जावेगी। लेकिन जब तक वह कार्य-प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आ सकेगी तब तक उस जमीन को लेने-देने का किसी प्रकार अधिकार हो सकता है, कानून के अभाव में, वह अधिकार नहीं हो सकेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को यह मालूम हो कि जो जमीन उसने दान में दी है उसका दुरुपयोग हो रहा है तो जिस आशा से उसने जमीन दान में दी थी वह आशा उसकी निराशा के रूप में नजर आती है तो वह उसे वापिस लेने के लिए माँग कर सकता है, कि मेरी जमीन मुझे वापिस दी जावे। यदि किसी तरह का पक्षपात करके उन लोगों को जमीनें दी गई जो नाममात्र के भूमि-हीन हैं तो दूसरे लोगों को मतभेद हो सकता है और वे इस आन्दोलन में सक्रिय भाग न लेकर इसी प्रकार का दूसरा आन्दोलन चला सकते हैं। यदि इस आन्दोलन की खराबी से या पक्षपात की नीति से किसी प्रकार की प्रेरणा इस आन्दोलन को नहीं मिल रही हो तो दूसरे शख्सों को इस प्रकार का दूसरा आन्दोलन चला कर उसमें काम करने का मौका मिले। इसीलिए यह आवश्यक है कि अगर इसमें आचार्य विनोबा भावे का नाम रख दिया जावे तो दूसरे लोगों को इस प्रकार का आन्दोलन करने की कोई गुन्जायश नहीं रहती है और यह महज वहीं तक सीमित रहता है कि कोई भी यदि भूदान का काम किया जाता है तो वह आचार्य विनोबा भावे के आन्दोलन द्वारा ही किया गया है। उस आन्दोलन द्वारा ही किया गया भूदान का यज्ञ माना जाता है और यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा यह कार्य किया जाता है तो वह भूदान नहीं है और ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हमारी मन्शा यह है कि इस भूदान आन्दोलन को चाहे आचार्य विनोबा भावे चलायें या और कोई अन्य व्यक्ति चलाये जिसके प्रति जनता का विश्वास हो, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, वह आगे आये और कहे कि भूदान से भूमि की समस्या हल हो सकती है तो उस व्यक्ति को कानून के जरिये से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। तो इस प्रकार का कानून बनाने में छूट दें। आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाये हुए आन्दोलन में दूसरे व्यक्ति का भी सहयोग होगा। इसी दृष्टिकोण को विचार में रखते हुए मैंने यह संशोधन रखना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, Shri Harideo Joshi's amendment, is in List No. 4, the notice of which was received on 18-5-1954. Since two clear days' notice has not been given I objeot to the moving of this amendment.

श्री अध्यक्ष—What have you to say ?

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—I have no objection.

श्री अध्यक्ष—I allow them.

श्री हरिदेव जोशी—क्लॉज दो के सब क्लाज (१) में मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि उसके आखीर में यह जोड़ दिया जाय कि "or to use it for community purposes."

इस सिलसिले में मेरा यह निवेदन है और मेरी मन्शा इसमें स्पष्ट है कि भूमिहीन किसानों के सिवाय ऐसे जनोपयोगी कार्यों को, जिनका गाँवों के जीवन से सम्बन्ध है, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भूमि के वितरण के सिलसिले में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि उन कामों को प्रोत्साहन मिले इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है और मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—दोनों।

श्री हरिदेव जोशी—इसकी डेफिनिशन भी स्पष्ट करने के लिए जोड़ दी है, जो वह भी स्पष्ट है।

श्री तनसिंह—भैरूं सिंहजी ने भी जो अमेन्डमेंट पेश किया है, वह इसमें नहीं है। क्या आपने यह अलाउ किया है? अभी जो श्री हरिदेवजी ने अमेन्डमेंट मूव किया है वह इस लिस्ट में नहीं है।

श्री भैरूं सिंह [वि० सं० १६]—इस लिस्ट में, मैं समझता हूँ शायद गलती से रह गया है। मैंने मूल संशोधन भेजा था, उसमें इस प्रकार का संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—I have got them.

श्री भैरूं सिंह [१६]—Thank you, Sir,

श्री अध्यक्ष—Part (g).

श्री तनसिंह—That he has not moved.

श्री अध्यक्ष—The Hon.ble Member wants to move part (g) ?

श्री भैरूँसिंह—जी हाँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज दो के पार्ट 'जी' में "landless person" की परिभाषा दी हुई है :

(g) "Landless person" means a person holding no iand or land less thae the area which may be presciibed in this behalf.

इसके बदले में मैंने यह प्रस्तुत किया है कि—

"Delete the words 'which may be prescribed in this behalf' and sudstitute 'fixed as an economic holding by the State Government'."

अध्यक्ष महोदय, आज यह आम चर्चा का विषय बन रहा है कि राजस्थान की ही नहीं अपितु सारे भारतवर्ष की भूमि-समस्या हल करने के लिए सीमा निर्धारित की जाय जिसके जरिये मालूम हो सकता हैं कि कितनी जमीन इकोनोमिक होल्डिंग समझी जाती है और ज्यादा से ज्यादा जमीन एक आदमी रख सकता है । ज्यादा से ज्यादा जमीन रखने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से एक कमेटी नियुक्त की हुई है । मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है इकोनोमिक होल्डिंग मानने के लिए एक मापदण्ड तैयार कर लिया है । जब हम भूमि के किसी एक हिस्से को माप मानकर चलते हैं कि यह इकोनोमिक होल्डिंग है तो फिर भूदान के कानून के जरिये क्यों उसमें अड़चनें पैदा करते हैं, उसमें क्यों लूप होल रखते हैं ? इकोनोमिक होल्डिंग के लिए जो जमीन एक आदमी को दी जाय वह जमीन गवर्नमेंट जो तादाद मुकर्रर कर रही है उससे कहीं कम हो । तो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ? हमारे सामने एक कानून है कांसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट (Consolidation of holding Act) जिसके द्वारा हम यह कार्यवाही कर रहे हैं कि जितने छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनको इकट्ठा किया जाय, और अन-इकोनोमिक होल्डिंग्स जो हैं उनको इकोनोमिक बनाया जाय । कॉन्सोलिडेट करने के लिए कानून विधान सभा में रखा हुआ है और वह शीघ्र ही पारित किया जाने वाला है । भूदान में कोई जरूरी नहीं है कि कोई १०० बीघा का ही टुकड़ा दे और यह भी जरूरी नहीं है कि वह इकोनोमिक होल्डिंग ही हो । एक आदमी एक बीघा, दो बीघा, चार बीघा, पाँच बीघा जमीन दे सकता है तथा ऐसी जमीनों के टुकड़े भी दे सकता है एक-दो जो मिला कर इकोनोमिक होल्डिंग हो सकती है । तो यह लाजमी होना चाहिये कि किसी ऐसी जमीन के टुकड़े नहीं किये जाने चाहिये जिनसे कि अनइकोनोमिक होल्डिंग रहे और उसको जो आदमी जोते वह आर्थिक संकट में पड़ जाय । भू-दान आन्दोलन को चलाने वाले सरकार की जो इकोनोमिक होल्डिंग के लिए प्रेसक्राइब्ड स्केल होगी उसका खयाल नहीं रखेंगे और इसीलिए यह संशोधन रखा गया है । मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस पर गौर फरमा कर विचार करेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्षजी, इस धारा के संबन्ध में दो संशोधन रखे गये है ।उन पर खास बात यह कही गई है कि "यज्ञ" शब्द इसके साथ न जोड़ा जाय क्योंकि यह

Page No.50

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक बहुत वेग (vague) शब्द है जिसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है इसलिए इस "यज्ञ" शब्द को हटा दिया जाना चाहिये......

श्री भैरूँसिंह—"यज्ञ" शब्द की कोई बात यहाँ नहीं आई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बात इस क्लॉज के अन्दर आती है जैसा कि अमेंडमेंट में कहा गया है: "Bhoodan' means the movement for acquisition of land through voluntary gifts with a view to distribute it to landless persons".

"**भू-दान यज्ञ**" में "यज्ञ" शब्द का समावेश होता है।

मैं अर्ज कर रहा था कि यह जो आन्दोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था उसी आन्दोलन के सम्बन्ध में यह बनाया जा रहा है। इसके विरोध में जो कुछ भी बातें कही गई हैं; इस संशोधन द्वारा यह माँग पेश की गई, हम कोई भी मूवमेंट या किसी के जरिये जो जमीन दी गई है उस जमीन को लेने के बारे में इस कानून में व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस कानून के लाने का कोई खास कारण है, वह बहुत स्पष्ट है। आचार्य विनोबा ने भूदान के संबन्ध में जो हमें नया दृष्टिकोण दिया उसी दृष्टिकोण के आधार पर उस कार्य-क्रम को देशव्यापी रूप में आज काम में लाया जा रहा है। मेरी जानकारी में जहाँ तक है कल एक माननीय सदस्य ने दूसरा भूदान का तरीका तैलंगाना का बताया था। इसके अलावा और किसी प्रकार का भूदान का कार्य-क्रम देश के अन्दर काम में लाया जा रहा हो, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। दूसरा यह कि विनोबाजी द्वारा जो कार्य-क्रम अपनाया गया है उसको सरकार उचित मानती है और उसको अपनाने का निश्चय किया है। जो इस कार्यक्रम के पीछे भावना है उस भावना को सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है। इसको दृष्टि में रखते हुये यह उचित तौर से अवश्य है कि जो आन्दोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया है उसको मान्यता दी जाय। उसके बाद देश के अन्दर किसी और तरह की आवश्यकता का यदि अनुभव होगा, कानून में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव होगा तो उस समय उस पर विचार किया जा सकता है। जिस समय कानून बनाया जा रहा हो इस तरह की बातें रखना आवश्यक नहीं है।

जितनी जमीन आती है उसका वितरण किस तरह से किया जायगा, यह इस कानून के अन्दर रखा गया है। अगर हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो इस ढाँचे को परिवर्तित करना होगा और परिवर्तित करने का मतलब यह होगा कि कोई निश्चित रूप-रेखा रखकर हम नहीं चल सकते। अगर हम इन संशोधनों को स्वीकार कर लेते हैं तो जिस आन्दोलन के समर्थन के लिए यह कानून बनाया गया है उसकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे। मैं उन संशोधनों को, जो दो माननीय सदस्यों ने अलग-अलग रखे हैं, सहमत नहीं हूँ। दूसरे जो संशोधन एक कॉम्युनिटी परपज के सम्बन्ध में है और दूसरे जो बाँसवाड़ा से आये हैं तथा उन्होंने जो संशोधन रखे हैं, उनको स्वीकार करने में मुझे ऐतराज नहीं हो सकता क्योंकि उससे जो परपज है, जो इसका उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के अन्दर सरकार को सहयोग मिलता है; इसलिए उन्हें स्वीकार करता हूँ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक बात और कही गई है सब क्लॉज "जी" के बारे में, कि हम इकोनोमिक होल्डिंग निश्चित कर दें। इकोनोमिक होल्डिंग निश्चित करने के संबन्ध में मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको रखते हैं तो उसमें जो कार्यक्रम की भावना है उसमें हम काफी बन्दिश लगा देते हैं। अभी इकोनोमिक होल्डिंग निश्चित रीति से क्या हो अलग-अलग जगह की स्थिति को देखते हुए इस सारी स्थिति के बारे में एक सीलिंग कमेटी विचार कर रही है जिसमें भूमि-हीन किसानों को जमीन देने का प्रश्न आता है कि वह जमीन कितनी उपलब्ध हो।

इकोनोमिक होल्डिंग एक आवश्यक चीज होते हुए भी यह संभावना हो सकती है कि किसी क्षेत्र के अन्दर जमीन बहुत कम है और वह जमीन जिस किसान को दी जाती है उससे उसकी आजीविका के साधन देने के लिए कम जमीन है। अगर हम इस चीज को लेकर कोई बन्दिश लगायेंगे तो वह उनको मददगार साबित होने के बजाय उसमें रुकावट होगी।

हम नहीं चाहते कि अन-इकोनोमिक होल्डिंग ज्यादा हो, किन्तु परिस्थित को ध्यान में रख कर चलना आवश्यक होगा। किसी भी परिवार को उसके जीवन निर्वाह के लिए अगर कोई साधन नहीं हैं तो कम से कम उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए साधन उपलब्ध किये जाने चाहिये और किये जा सकते हैं तो इसी आशा के अन्दर हमने रास्ता खुला रखा है वह रास्ता इससे खुला रहता है। इकोनोमिक होल्डिंग के निश्चित तौर से लागू कर देने से रुकावटें पैदा होंगी। इसीलिए जहाँ पर हम किसी किसान से जमीन न भी लें तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जैसा कि अभी एक माननीय मित्र ने जिक्र किया इकोनोमिक होल्डिंग्स सरकार करना चाहती है, वह यहाँ आकर जब जमीन के लेने का प्रश्न आता है तो लेने वाला उस जमीन को लेना नहीं चाहेगा, मना कर देगा। इसके साथ-साथ बहुत से छोटे होल्डिंग्ज़ भी हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अनजाने में लेकर मुश्किल में पड़ सकता है लेकिन जैसा कि अर्ज किया गया है परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, अगर किसी के पास अपनी आजीविका चलाने का कोई जरिया न हो तो वह छोटे जमीन के टुकड़े को लेकर अपने कार्य-क्रम के अनुसार उसमें तरक्की कर सकता है और अपनी आजीविका-निर्वाह योग्य अन्न भी पैदा कर सकता है। उसको वह जमीन लेनी चाहिए इसलिए वह रास्ता खुला रखा है। इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिन दो संशोधनों को स्वीकार किया गया है उनके अलावा जो संशोधन माननीय सदस्यों ने रखे हैं वे वापिस लेंगे, ऐसी आशा है। उनमें से शायद एक माननीय सदस्य नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उन्हें आचार्य श्री विनोबा भावे का नाम ही पसन्द नहीं है। अन्य सदस्यों से मैं यह निवेदन करूँगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—माननीय उपाध्यक्ष, मैं दो शब्द आपके जरिये सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिस प्रकार की दलील दी गई है वह अर्थहीन मालूम देती है। एक बात

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो यह कही गई कि मैं आचार्य श्री विनोबा भावे का नाम तक लेना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ तक कानून का सम्बन्ध है यह दोनों जुदा बातें हैं। आचार्य भावे अपना विशेष स्थान रखते हैं, उनके दृष्टिकोण से किसी को मतभेद हो सकता है, किन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि उनके व्यक्तित्व के बारे में श्रद्धा न हो।

मुझे समझ में यह नहीं आता कि दुनियाँ में एक बीमारी पैदा हुई, उसकी दवाइयां मौजूद होते हुए भी अगर किसी ने नई दवाई ईजाद की तो उसका यह तात्पर्य हुआ कि उस दवाई के सिलसिले में कानूनी सहायता मिल जाय उसी एक कम्पनी की बनी हुई दवा को; जैसे वैद्यनाथ प्राणदा की एक दवाई अच्छी लगी और सरकार ने इसके लिये कानूनी बना दिया कि राजस्थान के अन्दर अगर फलाँ-फलाँ कम्पनी की फलाँ-फलाँ दवाई बिकती है तो उसको अमुक-अमुक सुविधायें हैं। यह कानून इसी तरह का है कि जैसे एक विशेष कम्पनी की दवा को बेचने की विशेष सहूलियतें देना और यदि उसी प्रकार की दवाई दूसरी कम्पनी बेचती है तो उसको सहूलियतें नहीं दे सकते। यही दृष्टिकोण हमारे इस भूदान बिल में अपनाया गया है, मुझे तो यह न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। मुझे आचार्य विनोबा भावे के नाम से न तो चिढ़ है और न होगी और न हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की जो दलील दी गई है इसलिये मैं अपने अमेन्डमेंट को वापिस नहीं ले सकता।

श्री भैरूँसिह (दाँता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी ने जो फरमाया उसे सुनकर मुझे उनकी दलील में कोई तथ्य प्रतीत नहीं हुआ। इस तरफ तो हम इस प्रकार की आवाज लगाते हैं और इस प्रकार का हौवा बनाते हैं कि राजस्थान में कोई अन-इकोनोमिक होल्डिंग नहीं रहेगा और उसके लिये कारण यह देते हैं कि जब तक अन-इकोनोमिक होल्डिंग नहीं होता है उस वक्त तक जमीन में पैदावार अच्छी नहीं होगी। जमीन में पैदावार की पर्सेन्टेज़ ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो कोस्ट ऑफ प्राड्यूस से काश्तकारों को राहत नहीं मिलती एक तरफ तो काश्तकारों को राहत नहीं मिलती और दूसरी तरफ खाद्य समस्या का हल पूरा नहीं होता; इन्हीं दो कारणों को लेकर सरकार ने इकोनोमिक होल्डिंग बनाने की योजना सरकार के विचार के लिए छोड़ रखी है और उसे विचाराधीन ही नहीं रख छोड़ा, जिस तरह मैंने बताया, इस प्रकार का फ्रेगमेंटेशन को इकट्ठा करके जमीन के टुकड़ों को कॉन्सोलिडेट करने के लिए भी कानून ला रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दलील के साथ कि एक स्थान पर ज्यादा परिवार इस प्रकार के हैं कि जिनके पास जमीन जोतने के लिए नहीं है, जिनकी आर्थिक समस्या खराब है और जिनको ज्यादा नहीं पर थोड़ी मात्रा में जमीन मिली है उनकी स्थिति इससे अच्छी हो जावेगी और उनको इकोनोमिक होल्डिंग तकसीम कर दी जावेगी। यह भूदान आन्दोलन का काम होगा और भूमि की समस्या का हल होगा। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी प्रश्न का हल जो अन-इकोनोमिक होल्डिंग का है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जिसके पास यह अन-इकोनोमिक होल्डिंग है वह जमीन किसान और उसके परिवार को राहत पहुँचाने वाली नहीं होगी पर आर्थिक संकट में ढकेलने वाली होगी। ऐसी सारी जमीन जो दान में मिली है वह खेती के एक दम अयोग्य है, उसे खेती के लिए योग्य करने में ही किसान का और उसके परिवार का दिवाला निकल जायेगा। वह

Page No.53

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

उससे कभी भी राहत नहीं हासिल कर सकेगा बल्कि और आर्थिक संकट में फंस जावेगा। आप यह मानकर चलें निश्चित रूप से कि यह कदम उसे आर्थिक संकट में ढकेलने वाला है। हम अन-इकोनोमिक होल्डिंग बनाकर काश्तकार को तकसीम करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हम किसान की आर्थिक स्थिति को और खराब करना चाहते हैं और यदि आर्थिक स्थिति उनकी खराब करने का ही मतलब इस समस्या का हल है तो मैं मान लेता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी महोदय ने जो जवाब दिया है वह उचित है।

पर कहा यह जाता है कि यह भूदान आन्दोलन भारत में भूमि जोतने वालों की आर्थिक स्थिति ठीक करेगा, ऐलान यह किया जाता है कि आज देश में जो विषम भूमि समस्या है उसका यह हल है, भूमि समस्या सम्बन्धी जो संकट आज हमारे सामने भीषण रूप से खड़ा है उन संकटों से यह आन्दोलन पार कर सकेगा, पर इन सब घोषणाओं और ऐलानों के बावजूद मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर इस आन्दोलन का यही रूप रहा, अगर यही भूमि समस्या का सही समाधान का रास्ता आप समझ रहे हैं और इसी तरह के अनइकोनोमिक होल्डिंग तकसीम किये गये तो जो वास्तविक अर्थ इस आन्दोलन का बताया जाता है उससे सारा का सारा यह परिश्रम और सारा का सारा यह काम परे होगा और इसके विपरीत जिन लोगों को ये अनइकोनोमिक होल्डिंग्स तकसीम किये गये या किये जावेंगे उनकी आर्थिक स्थिति खराब ही नहीं बल्कि बद से बदतर हो जावेगी।

आगे चलकर इसमें इस तरह के आइटम भी बढ़ाये जा रहे हैं कि ये अनइकोनोमिक होल्डिंग्स के टुकड़े अलग-अलग इकट्ठे करके भी दिये जा सकते हैं। पर इस बारे में भी मेरा निवेदन यही है कि इसमें भी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इस बारे में मेरा सुझाव यह हो सकता है कि ऐसे अनइकोनोमिक होल्डिंग के टुकड़ों के साथ अच्छी प्रोडक्टिव जमीन के अच्छे टुकड़ों को मिला कर इसको किसी प्रकार से कॉन्सोलिडेट करके इस एक्ट के मातहत इकोनोमिक बनाया जावे और इसके बाद वह जमीन तकसीम की जावे तब तो कुछ मतलब हल हो सकता है। पर इस एक्ट की यह मंशा नहीं होनी चाहिए कि अनइकोनोमिक होल्डिंग को ही तकसीम करें और इसको तकसीम करने में हम दूसरी जमीन के टुकड़े इसमें शामिल नहीं कर सकते। इस प्रकार के हल से तो किसान की आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा खराब करना ही होगा, इसलिए मैं अपने संशोधन को वापिस लेने को तैयार नहीं हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

अब, श्री हरिदेव जोशी के जो संशोधन हैं वे तो आप स्वीकार कर चुके इसलिए श्री हरिदेव जोशी के अमेन्डमेन्ट मूव्ड हैं, प्रस्तावित हैं। इसे स्वीकार करने का प्रश्न है। अब तो अमेन्डमेन्ट इस पर कोई नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हरिदेव जोशी के अमेन्डमेन्ट पर सदन की अनुमति तो ले लेनी चाहिये। मन्त्री महोदय का स्वीकार करना ही काफी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति है इसलिए संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज नं० २ जैसा कि संशोधित रूप में, श्री हरिदेव जोशी का जो संशोधन है उसको स्वीकार करने के बाद जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप में यहाँ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

Clause 2, as amended, is added as part of the Bill.

(विराम)

Clause 3 may be taken as moved.

इसमें श्री हरिकृष्ण व्यास का संशोधन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I don't want to move it.

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह।

श्री भैरूँसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ में मेरा संशोधन यह है:
सब क्लॉज (१) के शब्द, 'There shall be established a Board by the name of the Rajasthan Bhoodan Yagna Board" :

[श्री भैरूँसिंह (१६)]

इसमें से "यज्ञ" शब्द को निकाल दिया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस भूदान मूवमेन्ट का सम्बन्ध है कोई भी शख्स इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि देश की भूमि-समस्या का यह एक हल हो सकता है। पर आज हम यह मानकर नहीं चल सकते कि राजस्थान की या सारे हिन्दुस्तान की भूमि समस्या इस आन्दोलन के मातहत पूरी हो जावेगी।

जिस वक्त से यह आन्दोलन चला उस वक्त से देखने में यह आया है कि जिन लोगों ने इस आन्दोलन के अन्दर भूमि का दान दिया है वे आदमी या भूदान कर्त्ता इस तरह के आदमी थे जिनको आज के जमाने में हम जल्दी से जल्दी खतम करने की योजना बना रहे हैं। राजस्थान में जगह-जगह इस भूदान में जो जमीनें प्राप्त हुई हैं वे उन्हीं लोगों से हुई हैं जो बड़े-बड़े जागीरदार थे, जिनके पास सैकड़ों हजारों बीघा की संख्या में पड़त में जमीन पड़ी थी। राजस्थान के अलावा भी जिन अन्य प्रान्तों में जो जमीनें प्राप्त हुई हैं; जैसे कि बिहार में और जिस बिहार की बात को लेकर भूदान आन्दोलन के प्रवर्त्तक बहुत शोर-गुल और जिक्र किया करते हैं, बड़ी-बड़ी विज्ञापनबाजी कर रहे हैं कि बिहार में सब से अधिक १७ लाख एकड़ जमीन प्राप्त हुई है, पर उसमें से भी १२ लाख एकड़ जमीन वहीं के एक कामाख्या नारायणसिंह, जो वहाँ जनता पार्टी के नेता हैं और रामगढ़ के राजा हैं, ने दी है। तो इस दो वर्ष के कार्यकाल से यह स्पष्ट हो गया है कि भूदान आन्दोलन की प्रेरणा महज इन लोगों में भी पहुँच सकी है, जिनके पास पड़त जमीन काफी पड़ी है; जिनके पास, जो काश्त के काबिल नहीं है ऐसी बेकार जमीन बहुत पड़ी है; तो इस तरह से इन्हीं लोगों ने इस प्रकार की भूमि दान में देकर सहयोग दिया है।

लेकिन जहाँ यज्ञ का सम्बन्ध है, जहाँ यज्ञ का नाम है, यज्ञ के द्वारा दान का सम्बन्ध है, वहाँ यह चीज नहीं चल सकती। यह दूसरी चीज है कि जहाँ यज्ञ न हो वहाँ कोई कुछ भी कैसी भी चीज दे। पर जहाँ यज्ञ का नाम दिया जाए वहाँ इस प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिये कि पड़त जमीन ही दान में दी जाय। प्रेरणा और स्फूर्ति पाने का मार्ग यह नहीं होना चाहिये कि जिससे प्रेरणा और स्फूर्ति इन इने-गिने लोगों तक ही पहुँचे, जिनके पास कि पड़त जमीन अनाप-शनाप पड़ी है, बेकार जमीन बहुत बड़ी संख्या में पड़ी है या जिन्होंने गोचर भूमि को अनीतिपूर्वक अपने अधिकार में कर रक्खा है या ऐसी जमीन पड़ी है जिस पर ऐसे लोग काश्त कर रहे हैं जिनको वे बेदखल नहीं कर सकते; वह सारा दान, ऐसी स्थिति में, सिर्फ बड़े-बड़े नेताओं, मन्त्रियों और जिनसे उनका कुछ स्वार्थ सम्पन्न होता है उनको खुश करने के लिए दान में दी जाती है।

आज उम्मीद यह है, आशा यह की जाती है कि इस प्रकार के आन्दोलन की प्रेरणा तो हर बच्चे के हृदय में, हर वृद्ध के हृदय में, एवं हर स्त्री और पुरुष के हृदय में स्थान पाती पर इस प्रेरणा ने तो महज इन बड़े-बड़े जमीनदारों और जागीरदारों और पूंजीपतियों के हृदयों में ही स्थान प्राप्त किया है और इसका एक मात्र कारण यह है कि वे लोग इस बेकार पड़त जमीन के सौदे से सरकारी मन्त्रियों, सरकारी कर्मचारियों या इन लोगों का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्त्ताओं और नेताओं को खुश

[श्री भैरूँसिंह (१६)]

करके किसी न किसी प्रकार का नाजायज फायदा या निजी स्वार्थ उठाने और पूर्ण करने की इच्छा रखते थे या रखते हैं और इसी प्रकार की भावना से प्रेरित होकर वे यह भूदान देते हैं।

अभी जब सर्वोदय संघ का मेला हुआ, उसकी जो ऑफीशियल रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उससे यह मालूम हुआ कि इसमें जो कर्मचारी इकट्ठे हुए वे ८५५ कर्मचारी थे और उनमें सिवाय ५४ कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सारे के सारे कर्मचारी सेट थे।

तो जो भी यज्ञ होता है उसमें एक बात यह भी है कि यज्ञ में पैसा देकर काम नहीं होता, उसमें भाग लेने वाले तो वॉलेन्टरी सर्विस देने वाले होते हैं। पर जब किसी काम में पैसे देकर तनख्वाह देकर और किसी को किसी प्रकार का लालच देकर कोई कार्य कराया जाता है तो वह यज्ञ नहीं कहलाया जा सकता, आन्दोलन कहा जा सकता है, कार्य प्रणाली कही जा सकती है। तो इस तरह से सब कुछ कहा जा सकता है, पर यज्ञ नहीं कहा जा सकता। यज्ञ तो वही होगा जिसमें सब लोग वॉलन्टेरी हिस्सा लेने की प्रेरणा पाते हों। इसे आप कदम भी कह सकते हैं जो कि समस्या का हल करने के लिए समाज में अवतरित हुआ है। पर इसको यज्ञ तो नहीं कह सकते।

दूसरी जो यज्ञ के अन्दर बात नहीं होती है वह इस भूदान यज्ञ के अन्दर जिस प्रकार पैसा खर्च होता है उस पैसे के खर्च को देखकर हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का आन्दोलन है, 'यज्ञ' नहीं कह सकते हैं। मैंने इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त की है कि गाँधी मेमोरियल फन्ड से ७,५०,०००) रु० लिया गया है। गाँधी मेमोरियल फन्ड किसी भी विषय को लेकर पैसा इकट्ठा किया गया हो, किन्हीं अच्छे कामों के लिए। भूदान यज्ञ भी अच्छा विषय वे समझते हों और गाँधी मेमोरियल फन्ड से इस विषय के लिए रकम ली जा सकती हो। जहाँ इन रकमों को खर्च किया जा रहा है इन आँकड़ों को, उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए रखूँगा। मुझे विश्वास है कि इनको सदन मानेगा। वह इस प्रकार हैं :—

सन् १९५२ से अप्रेल १९५३ तक	१,४७,०००) रु० तथा
मई १९५३ से जनवरी ५४ तक	४,२४,५९०) रु०

खर्च हुए और इससे २७ लाख एकड़ जमीन प्राप्त हुई। ५,३२,०००) रु० में से सारे के सारे इस पर खर्च हुए और उसमें हमको मिली केवल २७ लाख एकड़ जमीन। इसका मतलब है कि एक रुपये पर हमें ५ एकड़ जमीन मिली। ५ एकड़ जमीन भी उन लोगों से मिली जो बड़े-बड़े जागीरदार थे, जमींदार थे और राजा थे। उस जमीन के अलावा जो राजा कामाख्याप्रसादसिंह की है वह निकाल दी जाय तो महज १५ लाख एकड़ जमीन रहती है। १५ लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने में गाँधी मेमोरियल फन्ड का रुपया जो कि जनता से इकट्ठा किया गया था और जनता के दूसरे कामों के लिए जरूरी था उन जमीनों के लेने के लिए, उन लोगों के जीवन-निर्वाह पर खर्च किया गया और १५ लाख एकड़ जमीन खर्च की गई। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भूदान-यज्ञ में इस प्रकार जनता का रुपया, चूंकि गाँधी मेमोरियल फन्ड भी जनता का है, क्योंकि भारतवर्ष की जनता से एक एक पैसा लेकर

[श्री भैरूँ सिंह (१६)]

इकट्ठा किया है; इस प्रकार से एकत्रित किये गये पैसे को इस प्रकार भूदान-आन्दोलन को दिया जाय और भूदान के लिए एक रुपये में २ एकड़ जमीन प्राप्त की जाय तो वह आन्दोलन है, यज्ञ नहीं है। यज्ञ करने वाला कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि पैसा ले और इस प्रकार से जमीन दे। यज्ञ करने वाला तो अपनी पूर्णाहुति पर अपनी सारी जमीन का दान करता है। लेकिन जमीन का दान कहकर भी उसके लिए अर्थ की प्राप्ति की जाती है। यज्ञ वह चीज होती है, जैसा कि पुराने जमाने में हुआ करता था कि वह शक्ति प्राप्त करने के लिए, उसके बाद में सारी जमीन चाहे वह काबिल काश्त हो, जमीन चाहे बारानी है, चाहे उसमें किसी प्रकार की उपज होती हो, वह यज्ञ के अन्दर दान देते थे, वह किसी तरह का प्रश्न नहीं है; लेकिन अपने मतलब के लिए दी जाय, जहाँ वैतनिक कार्यकर्त्ता हों, जहाँ अन्य अनेक प्रकार की बातें होती हैं, वह यज्ञ नहीं है। वह आन्दोलन है और उसको आन्दोलन का रूप दिया जाय। यदि यज्ञ का रूप रखा जाय तो इस प्रकार की चीजों को दूर करना होगा। ऑफिशियल रिपोर्ट में जो इस प्रकार की बातें हैं उनको दूर करने का सवाल सामने नहीं आया, इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने यह जिक्र किया है। अतएव 'यज्ञ' शब्द नहीं रखा जाय इसमें। और भी कई आन्दोलन जैसे धन-दान चल रहा है, श्रमदान चल रहा है; तो उन सबके आगे भी 'यज्ञ' शब्द लगाना पड़ेगा और उनका नाम भी करना पड़ेगा धनदान यज्ञ, श्रमदान यज्ञ; उसके पीछे किसी प्रकार के भाव रहे हों भूदान के समान, लेकिन उसको 'यज्ञ' करना पड़ेगा। इस प्रकार 'यज्ञ' शब्द का वास्तविक अर्थ जो है उस अर्थ से वह वंचित रह जायगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा यह संशोधन है कि 'यज्ञ' शब्द को इस जगह से डिलीट कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्षजी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि जो भूदान के संबन्ध में खर्च किया जा रहा है और जो आँकड़े यहाँ पर रखे गये हैं उनके द्वारा यह असर डालने का प्रयत्न किया गया है कि जैसा भूदान का कार्य किया जा रहा है वह केवल कुछ पेड वरकर्स (paid workers), जिनको कि पैसा मिलता है वही इस काम को करते हैं और वह एक आन्दोलन मात्र है। यह २७ लाख एकड़ जमीन कुछ लोगों ने मिलकर दी है उसके पीछे इतना रुपया खर्च हुआ है। मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा जितनी जानकारी मुझे इस समय उपलब्ध है वह देना चाहता हूँ सदन को।

केवल तीन राज्यों में जिसमें बिहार, यू०पी० और राजस्थान के राज्य हैं, अगर उनको भी सामने रखा जाय तो उसमें ३३ लाख एकड़ जमीन का भूदान हुआ है। वह ३३ लाख जिसमें कि, जैसा कि माननीय मित्र ने कहा कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन ढाई लाख आदमियों ने मिलकर इतनी जमीन का दान किया है। उससे स्पष्ट हो चुका है कि जागीरदार और बड़े-बड़े जमींदारों की दी हुई, राजाओं की दी हुई चीज़ पर यह भूदान यज्ञ का कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of Order, Sir, कल की बात का जवाब माननीय मन्त्री जी तैयार करके लाये हैं वह देना चाहते हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह नई समस्या है, अभी जो बातें उठाई गई हैं उसका जवाब दिया है। आप बाहर थे इसलिए आपको जानकारी नहीं।

(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) तो मैं इस सम्बन्ध में यह अर्ज कर रहा था कि ऐसे भी उदाहरण कई जगह हिन्दुस्तान के अन्दर सामने आये हैं कि किसी आदमी के पास अगर १० बीघा जमीन थी तो उसने उस सारी जमीन को, उस १० बीघा वाले ने दान किया है। गाँवों में भी सब गाँव वालों ने मिलकर सारी जमीन का दान देकर वापिस उसका बांटवारा कराया है। ये चीजें इतने बड़े पैमाने पर, इतने व्यापक रूप से और अच्छे ढङ्ग से चल रही हैं और उसको यह कह देना कि वह केवल मात्र एक आन्दोलन है, उसके पीछे बहुत बड़ी भावना नहीं है, मैं समझता हूँ कि यह उस चीज को छोटा बनाने की बात है। एक तरफ तो हम कहना चाहते हैं कि यह भूमि की समस्या हल करने का अच्छा तरीका है, दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि परिणाम इसका ठीक नहीं है, इसमें तो इतना रुपया खर्च हुआ है तो मैं समझता हूँ माननीय उपाध्यक्षजी, कि जो रुपया खर्च हो रहा है उसके ऊपर वह और देश के अन्दर बहुत-सा रुपया खर्च होता है उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा ठीक खर्च किया हुआ रुपया है जिसके द्वारा देश के अन्दर बहुत-सा वातावरण बना है, लोगों के हृदय में वह असर हुआ है। यह ठीक है कि राजाओं ने इतनी दे दी, दूसरे जागीरदारों ने इतनी दे दी, पर उसके अलावा और दूसरे हजारों-लाखों आदमी इसके अन्दर शरीक हुए हैं जो जमीन दे रहे हैं और इस आन्दोलन के साथ हैं। उनकी भावना को समझना जरूरी है। उनकी भावना को समझते हैं तो हमको गर्व होता है कि 'यज्ञ' शब्द उपयुक्त है। जो भूदान के कार्य-कर्त्ता हैं, जमीन देने वाले, जमीन दिलाने वाले और जमीन प्राप्त करने वाले उन सारों को एक साथ सामने रखकर विचार करें कि वे स्वेच्छा से सारा कार्य करते हैं या नहीं। त्याग की भावना से जो जमीन दान देते चले जा रहे हैं उनकी उस भावना को 'यज्ञ' के नाम से पुकारने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने के अन्दर जो बहुत से यज्ञ होते थे तो पूर्णाहुति ही यज्ञ ..की कसौटी हो, यह बात नहीं; सारा का सारा दे दे तभी कहा जाय कि यज्ञ किया गया है, इसको दान नहीं मानते हैं। जो जितना स्वेच्छा से करता है बल्कि जो उस कार्य को करता है उसको यज्ञ मानते हैं। जो भूमि की समस्या के बारे में किया जा रहा है उसको 'यज्ञ' का नाम दिया जा रहा है। 'यज्ञ' का नाम देना इसलिए भी उपयुक्त है कि पुराने जमाने में बड़े-बड़े ऋषि मुनि हो गये हैं, वहां भी दान किया जाता था। आज आचार्य विनोबा भावे, मैं समझता हूँ, इस यज्ञ के अन्दर एक महान् ऋषि के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह कार्य बहुत बड़ी ऊँची भावना को जन्म दे रहा है। वह भूमि-समस्या के मेटिरियलिस्टि डाइरेक्शन में हल करने का सवाल नहीं होकर उनकी अच्छी भावना को सामने रखता है। 'यज्ञ' शब्द के अन्दर जो ऊंची भावना है और इस कार्यक्रम में जो बहुत ऊंची भावना है, तो उस कार्यक्रम के सही मतलब में आने वाला यह शब्द है, उसका रखा जाना जरूरी है। इसलिए अगर माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको वापिस लें लेंगे और इसका समर्थन करेंगे।

श्री भैरूँ सिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मन्त्रीजी ने "यज्ञ" शब्द के विषय में जो बातें फरमाईं उनमें खास बातें यह थीं कि "यज्ञ" शब्द पुराना है और ऋषि-महर्षि जब कभी इस प्रकार का कार्य किया करते थे तब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ। लेकिन माननीय मन्त्रीजी की जानकारी के लिये आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में जब कभी भी किसी ऋषि-महर्षि ने कोई यज्ञ किया था तो उससे पहले वे वातावरण का निर्माण किया करते थे। इस वातावरण से उस यज्ञ का एक्शन और रिएक्शन उनको मालूम हो जाता था और उससे पता चल जाता था कि जनता उस यज्ञ को पसन्द करती है या नहीं और उचित स्थान प्राप्त होता है या नहीं। इस प्रकार के वातावरण का निर्माण होने के बाद यज्ञ किया जाता था। किन्तु आचार्य विनोबाजी ने जिस दिन से मूवमेंट चलाया उस दिन से आज तक इस तरह के किसी वातावरण का निर्माण नहीं किया। उनको तेलंगाना में स्फूर्ति मिली और कहा जाता है कि तेलंगाना में भूमि-समस्या जटिल हो गई थी और काश्तकारों के और जिनके पास भूमि थी उन जमीन्दारों के बीच गहरा संघर्ष चल रहा था। यह संघर्ष विनोबाजी के आन्दोलन से समाप्त हो गया। लेकिन जिस वक्त यह कार्य हाथ में लिया गया उससे पहले किसी तरह के वातावरण का निर्माण नहीं किया गया। इसकी कोई चर्चा नहीं की गई कि यह काम किया जाने वाला है। इस प्रकार से स्फूर्ति नहीं दी गई इसलिये यह यज्ञ नहीं कहा जा सकता। इस काम को सफल बनाने के लिये यह एक प्रकार का आन्दोलन कहा जायगा। इस आन्दोलन के सफल होने के बाद जो परिणाम होगा उसके अनुसार यदि इस आन्दोलन को जनता का समर्थन प्राप्त होगा और यदि जनता इस प्रकार की प्रेरणा से जमीन प्रदान करने के लिये आरूढ़ होगी उस समय हम इसे यज्ञ कह सकते हैं लेकिन उससे पूर्व हम इसे यज्ञ नहीं कह सकते, इसे एक प्रकार का आन्दोलन कहा जा सकता है। इसलिये इस 'यज्ञ' शब्द को हटाने के लिये मैंने निवेदन किया है। 'यज्ञ' शब्द को हटा कर भूदान ही रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूँ सिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

The question is that Clause 3 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 4 may be taken as moved. Shri H. K. Vyas to move his amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा एमेन्डमेन्ट यह है कि क्लॉज़ ४ जिस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्रकार बिल में आज मौजूद है उसको हटा दिया जाय और उसकी एवज में इस प्रकार का एक नया क्लॉज़ कर दिया जाय :

"4. Constitution of the Board. -- (1) The Board shall consist of the following :—

(a) A chairman elected from amongst themselves by the Members of the Board.

(b) Fifteen members to be elected by proportional representation and single transferable vote by an electoral college consisting of the Members of the Tehsil Panchayats.

(2) The names of the members so elected and of the Chairman shall be notified in the Rajasthan Gazette in the manner prescribed.

(3) The Chairman and members of the Board shall hold office for four years from the date of the notification under sub-section (2).

(4) The State Government may, if two-third majority of the Board so recommend, remove any member of the Board on the ground that;

(a) he has become physically incapable of acting as such member or

(b) he has been convicted of an offence involving moral turpitude".

हमने, माननीय उपाध्यक्षजी, कई बार एक चीज़ सुनी और मेरा ख्याल है कि सदन के उधर जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं उन्होंने भी कई बार इस प्रकार कहा होगा कि, "Self government in any case is better than a good government." तात्पर्य इसका यह है कि जिन लोगों के हित में आप कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य का अधिकार उन लोगों को क्यों न दिया जाय ? जैसा कि अभी फरमाया है, बिल के मुताबिक जो बोर्ड बनेगा उसके सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार आचार्य विनोबाजी को दिया गया है । बोर्ड का चेयरमेन कौन मुकर्रर करेगा ? विनोबाजी मुकर्रर करेंगे, बोर्ड के मेम्बरों को भी वे ही नोमिनेट करेंगे । अब सब से पहला प्रश्न यह उठता है कि यदि रियासत के रहने वाले लोगों के हित में कार्य करने के लिये आप उत्सुक हैं तो उसकी देख-भाल, उसका इन्तज़ाम एक ही व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहिये; चाहे वह व्यक्ति कितना ही महान हो, बड़ा हो, अच्छा हो । एक ही व्यक्ति को सारा अधिकार देना प्रजातन्त्र के उसूलों के खिलाफ है । हम कहते हैं कि हम आम लोगों की राय से अपने राज्य का शासन चलायेंगे । जब आम लोगों की राय से एक रियासत का शासन चल सकता है, सारे देश का शासन चल सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि कुछ लाख एकड़ जमीन का शासन नहीं चल सके, उसके वितरण का इन्तजाम नहीं किया जा सके, इसके लिये हमें विश्वास नहीं होता । यह तो जनता के नाम पर आन्दोलन और आडम्बर किया जा रहा है । यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

क्यों है ? शायद यह कहा जाय कि नेक और ईमानदार है श्री विनोबाजी, तो ऐसे सज्जन के हाथ में अधिकार देना बेजा नहीं होगा। यह मानते हुए भी कि वे नेक हैं, सज्जन हैं फिर भी मैं यह कहूँगा कि एकतन्त्रीय अधिकार एक ही मनुष्य के हाथ में देना कभी भी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता। इसलिये उसूलन मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ। उसूलन यह एक गैर प्रजातन्त्रीय चीज़ है। ऐसा मान कर सदन के सदस्यों के सामने इस बात का विरोध करता हूँ।

इसका एक दूसरा पहलू भी है और वह यह है कि श्री विनोबाजी एक इलाके में रहते हैं, देश के अलग-अलग भागों में उनको घूमने भी जाना पड़ता है और मेरा ख्याल है कि ऐसा दावा वे नहीं करेंगे कि सारे देश में भूदान से सम्बन्धित जो लोग कार्य करते हैं उनके नाम से वे वाकिफ हों, उनकी मोरेलिटी के बारे में जानते हों, उनके एक्च्युअल काम के बारे में जानते हों। उनकी नैतिकता के बारे में, उनकी इन्टीग्रेटि के बारे में श्री विनोबाजी के पास शायद कोई डाइरेक्टरी नहीं होगी जिसके आधार पर यह तय कर सकें कि अमुक रियासत की अमुक तहसील में जो बोर्ड बनना है उसके सदस्य किन-किन को रखा जाय। अधिकार आप उनको दे रहे हैं, लेकिन यह नामुमकिन है कि उन अधिकारों का सही उपयोग किया जा सकेगा। यह नामुमकिन है कि वे देश के कौने-कौने में यह पता लगा सकें कि ऐसे कौन-कौन से उपयुक्त आदमी हैं जिनको वितरण आदि के अधिकार दिये जा सकें।

तो जाने या अनजाने में इसमें भ्रष्टाचार फैलने वाला है। कल मैंने "मठाधीश" शब्द का इस्तेमाल किया था तब मेरे मित्र नाराज हुए थे। मैं जानता था कि आज नहीं तो कल उनके दिल में भी यही बात आयेगी। जिस प्रकार के बोर्ड्स बनाने का इन्तजाम रखा गया है उसके लिये सिवा इसके और कुछ कहा नहीं जा सकता कि बाकायदा मठाधीश बनाये जा रहे हैं। एक व्यक्ति को अधिकार है कि किसी को नामजद करे तो वह किस तरह से करेगा, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं हो सकता। जो नामजद होगा वह अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, इस तरह से हासिल की हुई जमीन को लोगों में वितरण करेगा, कैसे की व्यवस्था करेगा, लाखों बीघा जमीन उन नामजद किये हुए लोगों के हाथ में रहेगी और इस तरह से यह भ्रष्टाचार का एक और नया रास्ता खुलेगा। इसके अतिरिक्त मेरे अमेंडमेंट में जो सुझाव है वह न केवल व्यवहारिक है बल्कि प्रजातान्त्रिक भी है। मैंने अपने अमेंडमेंट में यह सुझाव रखा है कि नई ग्राम पंचायतों से चुने हुए लोग, ग्राम पंचायतों द्वारा चुने जाकर तहसील पंचायतों में आयेंगे और इस बिल के प्रस्तावक महोदय भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकेंगे कि इस प्रकार के चुन कर आये हुए व्यक्ति ग्राम किसानों के प्रतिनिधि के रूप में आयेंगे, उन्हीं लोगों का इस प्रकार का बोर्ड बनाया जाय और उन लोगों को अधिकार दिया जाय कि वे प्रोपोर्शनेटली सब भूमि-हीनों में बराबर-बराबर जमीन बाँट दें, जमीन का वितरण करें। उन्हीं लोगों को यह अधिकार दिये जाँय, किसानों के चुने हुए आदमियों के हाथ में इसका इन्तजाम हो और यदि उन चुने हुए आदमियों के हाथ में इस तरह से भू-दान में प्राप्त हुई जमीन के वितरण करने का इन्तजाम नहीं रहा तो इसका परिणाम यह होगा कि भू-दान के नाम पर आई हुई जमीन के वितरण में बड़ी ही धाँधलेबाजी होगी। इसकी नजीर हमारे सामने है। अलवर में पट्टा कमेटियों को एक छोटा सा अधि-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कार मिला। उस छोटे से अधिकार का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि आज सारे अलवर के इलाके में कहीं भी जा कर पूछिये तो जगह-जगह त्राहि-त्राहि और हाहाकार मचा हुआ है। गंगानगर में भी इसी प्रकार की कमेटियाँ बनाई गई और उनमें पार्टीबाजी की वजह से ऐसे लोग रखे गए कि उन्होंने एक-एक मुरब्बा जमीन के पीछे १००), १००) रुपयों की रिश्वतें लीं और एक-एक मुरब्बे को कई भिन्न-भिन्न लोगों के नाम कई बार रद्दोबदल किया। यदि मन्त्री महोदय इसकी तहकीक करना चाहें तो जो जाँच की रिपोर्ट है उससे कर लें। जाँच से यह सब साबित हो चुका है और उससे हमें सबक लेना चाहिए। जो लोग सही भावना से प्रेरित होकर जमीन देंगे, कुछ लोग गरीब तबके के होंगे वे लोग सही भावना से प्रेरित होकर या जोश में आकर जमीन देंगे और बड़े-बड़े पूँजीपति और जागीरदार लोग तो चालबाजी से जमीनें देंगे। चाहे किसी भी तरीके से जमीन आये उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का मौका तो नहीं मिलना चाहिए और इस प्रकार का आर्बिट्रेरी शासन बना कर हमारी सरकार राज्य के अन्दर भ्रष्टाचार का एक नया विभाग खोले तो यह कोई ठीक बात नहीं है।

मैं यह सुझाव रखूंगा कि राम-राज्य की बार-बार दुहाई देकर इस बिल के प्रस्तावक महोदय और उनके पक्ष में बोलने वाले दूसरे मित्र कह रहे हैं कि राम-राज्य लाया जा रहा है, तो वे इतना तो खयाल रखें कि एक मामूली से व्यक्ति के विरोध की वजह से अपनी पत्नी तक का परित्याग कर दिया था, जिसे कम से कम साहित्यिक कल्पना कहा जाय।

तो क्या राम-राज्य की दुहाई देने वाले इतने विरोध के बावजूद भी क्या किसानों के हाथ में इतना अधिकार भी नहीं दे सकते कि कम से कम उनके नाम पर आई हुई जमीन के इन्तजाम का अधिकार उन्हीं लोगों के हाथ में हो, जो उनके प्रतिनिधि हैं।

तहसीलों की पंचायतों के हाथ में इस तरह से भूदान में प्राप्त हुई जमीन के वितरण का अधिकार हो, यही मेरा सुझाव है।

श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ४ में मेरा संशोधन यह है। इस क्लॉज के स्थान पर यह इस प्रकार से लिया जाय :

"Delete the whole clause and substitute the following in its place :

"4. Constitution of the Board. (1) The Board shall consist of the following, namely :—

(a) The Chairman to be elected from amongst themselves by the Members of the Board.

(b) Eleven members to be elected in the prescribed manner by single transferable vote by an electoral college consisting of persons who have donated land to the Bhoodan Movement.

Page No.63

[भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)]

(c) Two members to be nominated by the State Government.

2. The election and nomination of the Members shall be notified in the Rajasthan Gazette in the manner prescribed.

3. The Chairman and Members of the Board shall hold office for three years from the date of the publication of their names in the Rajasthan Gazette.

4. The State Government may remove from office any member of the Board, who, in the opinion of tha majority of the Members of the Board, has been adjudged an insolvent or is convicted of an offence involving moral turpitude or is physically unfit to perform the duties entrusted to him in the capacity of a Member of the Board."

माननीय उपाध्यक्ष, जब से भारतवर्ष आजाद हुआ उस वक्त से जनतन्त्रवाद की दुहाई दी जाने लगी, परन्तु जितनी भी सरकारें भारत में बनीं वे पॉपुलर गवर्नमेंट के नाम पर एक ही दल की सरकारें बनीं। फिर धीरे धीरे इस प्रकार का वातावरण बना कि इस प्रकार की मनोनीत सरकारें भारतवर्ष का शासन चलाने के लिए, यदि यह कहा जाय तो अनुपयुक्त नहीं होगा कि इस प्रकार की सरकारें जनता की नजरों में उपयुक्त नहीं समझी गईं, इसलिए आन्दोलन उठे, इस प्रकार का वातावरण बना कि जनतन्त्र के नाम पर एक पार्टी का एक-तन्त्री शासन है वह बदला जाय, चुनाव कराये जाँय और बहुमत से जो दल चुना जाय उसी का शासन हो, वह चीज बनी। आज तक जितने कानून बने उनमें जनतन्त्री सिध्दान्तों का खयाल नहीं रखा गया। जहाँ-जहाँ भी किसी प्रकार के चुनाव हुए उनमें, आम चुनावों में हमारी सरकार हार खाती गई और अब सरकार को यह वहम हो गया है कि अगर उन असन्तुष्ट व्यक्तियों को साथ में नहीं लिया गया तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। भूदान में सरकार जिन व्यक्तियों को लेना चाहती है वे सरकार में नहीं आ सकते इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए मनोनीत करके इस प्रकार के बोर्ड्स में लेने के लिए यह कायदा बनाया है, और इस प्रकार सरकार ने दल विशेष की सेवा की है। वह सेवा इस प्रकार की है कि जो व्यक्ति निजी स्वार्थ विशेष से, आपसी झगड़ों की वजह से या इसी तरह के और और कारणों से इस दल को छोड़ कर दूसरे दलों में जा रहे थे, उनको इस प्रकार के प्रलोभन से पकड़ लिया है, इसलिए पकड़ा है कि वे इसी दल में रह कर इस दल के लिये काम करेंगे।

जितने भूदान के बने हुए बोर्ड हैं उन बोर्डों की ओर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे भूदान के कार्यकर्ता ऐसे है कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने जमीन का दान दिया हो, भूमि दी हो, बल्कि वे इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो सरकार से असन्तुष्ट होकर

[श्री भैरूँ सिंह (दाँता रामगढ़)]

सरकार के खिलाफ जितने विरोधी दल हैं उनको मजबूत बनाने के लिए उन दूसरे दलों में जाना चाहते थे। उन लोगों को जाते हुए रोक लिया, उनको पकड़ लिया और उनको प्रलोभन दिया जिससे कि वे सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का कार्य न करें और इन सारी चीजों को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है और वह यह कि उन सब को भूदान में जगह दे दी जावे। आज सरकार एक संत के नाम पर, आचार्य श्री विनोबा भावे के नाम की ओट में यह सब कार्य कर रही है। समझ में नहीं आता कि किस तरह से सरकार एक सन्त, श्री विनोबा भावे के नाम की ओट में यह सब कर रही है? सरकार ने इसीलिए इस क्लॉज में यह बात रखी है कि अगर श्री विनोबा भावे किसी व्यक्ति को नोमीनेट नहीं कर सकें तो अखिल भारत सर्व सेवा संघ को इस प्रकार का नोमीनेशन का अधिकार होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आचार्य विनोबा भावे उस व्यक्ति को चुनें। मैं यह कहूँगा कि आचार्य विनोबा भावे यह नहीं जानते कि वह व्यक्ति विशेष किस प्रकार का आदमी है। उसका इतिहास उनको मालूम नहीं और उसके अभाव में वे उन्हीं व्यक्तियों को चुनेंगे जिनकी यहाँ से सिफारिश यहीं के लोग करेंगे और वे वही लोग होंगे जो राजस्थान की दल-बन्दी में भाग ले रहे होंगे। इसके अलावा उनके नोमीनेट करने के अभाव में राजस्थान के किसी भी कार्यकर्त्ता को अखिल भारत सर्व सेवा संघ मनोनीत करेगा और उसमें वे ही लोग होंगे जो राजस्थान की दलबन्दी के होंगें और किसी प्रकार से वे किसी दूसरी जगह पर नियुक्त नहीं हो पाये और उस कारण से असन्तुष्ट हैं, उनको यहाँ स्थान मिलेगा।

आज हम सभी यही चाहते हैं कि भूदान में जल्दी से जल्दी जमीनें दी जावें और वे जमीनें भूमिहीन लोगों को दी जावें। मगर देने वालों को यह सोचना होगा कि जो चीज वे दान में दे रहे हैं, वह किसी प्रकार से एक भ्रष्टाचार का अड्डा तो नहीं बन रही है, या ऐसे व्यक्तियों को तो नहीं दी जा रही है जो वास्तव में भूमिहीन नहीं हैं, नाममात्र के भूमिहीन हैं। इस शंका का समाधान उसी वक्त हो सकता है जबकि जमीन का दान देने वाले को यह अधिकार हो कि जिस जमीन का उसने दान किया है उस जमीन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं और यह तभी हो सकता है जबकि दान देने वाले को भी यह अधिकार हो कि वह इस चीज को देखे कि आया जो दान उसने दिया है उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होगा तो उन लोगों का भी सहयोग ही होगा, किसी प्रकार का असहयोग नहीं होगा। आप जानते हैं कि दान लेने के लिए जाने वाले व्यक्ति का कितना असर पड़ता है। एक आदमी दान लेने के लिए जाता है तो दान देने से पहले देने वाला यह देखता है कि दान लेने वाला दान लेने का पात्र है या नहीं, तथा दान मांगने वाले का क्या प्रभाव है, क्या उसके प्रभाव से कोई दान देगा या नहीं, मांगने वाला खुद त्यागी है या नहीं, तपस्वी है या नहीं, दान करने वाला है या नहीं; जो कुछ वह दान कर सकता है, उसने दान किया है या नहीं; वह भूदान की हाट में कुछ देकर भूदान आन्दोलन की समस्या को किस प्रकार फलीभूत बनायेगा? इसके अलावा यह भी देखना होता है कि उस व्यक्ति के रिप्रेजेन्टेशन पर लोग किस प्रकार से दान दे सकेंगे या नहीं। इसीलिए मैंने अपना सुझाव रखा है कि जो व्यक्ति दान देते हैं उन्हीं के समूह में से ११ आदमी चुने जावें और वे लोग दूसरे लोगों के पास जावें और भूदान करावें। यदि ऐसा किया

[श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)]

जावेगा तो मैं यह विश्वास के साथ कहूँगा कि लोगों को इस बोर्ड पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी। लोगों को शंका नहीं होगी कि हमने जमीन ऐसे आदमियों को दे दी है जिनका रेप्युटेशन खराब है। आज हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कॉंग्रेस से असन्तुष्ट हैं या जिनको मिनिस्टर नहीं बना सके, आज भूदान के बोर्ड के संयोजक बने हुए हैं। इसलिये लोगों को लाजमी तौर से शंका होती है और हुई है, कि हमारी जमीन जिसको लोगों के हित के लिए हम देते हैं उसका दुरुपयोग होगा। जब लोगों के हृदय में इस प्रकार की आशंका जागृत हो गई तो यह आन्दोलन किस प्रकार सफल होगा और जो प्रयास किये जावेंगे वे सब बेकार जाएँगे। माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यही सोच कर यह निवेदन किया है कि सारे बोर्ड का निर्माण करने में उन लोगों का सहयोग लिया जाए, जो भूदान कर चुके हैं, तो इसमें काफी मदद मिल सकती है।

इसके अलावा मेम्बरों की अवधि ५ साल की रखी है। मैंने अपने एमेन्डमेंट में मेम्बरों की अवधि महज ३ साल की रखी है। यह इसलिए की जब हम किसी आदमी को नोमीनेट करते हैं, चुनते तो हैं नहीं, तो वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी भी प्रकार का दान नहीं देता है और न उसने कभी किसी प्रकार का दान दिया है। वह वही आदमी होगा जिसके लिये मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया और ओफिशियल रेकर्ड से आंकड़े पेश किए। हाल ही में भूदान आन्दोलन के सिलसिले में हुई मिटिंग में, जिसमें ३ हजार से ज्यादा पु० के आदमियों ने भाग लिया जहाँ बिहार गवर्नमेंट के सारे के सारे पी. डब्ल्यू. डी. के स्टाफ के व्यक्तियों ने कार्य किया, वहाँ भूदान यज्ञ में कार्य करने वाले ८५४ व्यक्तियों में से सिर्फ ४४ आदमी ही ऐसे थे जो अवैतनिक तौर पर काम कर रहे थे, बाकी सभी लोग पैसा लेकर काम कर रहे थे। ऐसे व्यक्तियों से कोई कैसे आशा कर सकता है कि वे लोग भूदान में सक्रिय रूप से भाग लेकर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। इसी आशंका से माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह बात रखी है। (घण्टी) तीन साल की अवधि मैंने इसलिए रखी है कि आज २०० आदमियों ने भूदान दिया और वे इस बोर्ड में इलेक्ट किए गये। अब तीन साल में ५००० आदमी ऐसे हो सकते हैं जो भूदान दें। इसलिए उनको भी सेवा करने का मौका तभी मिल सकता है जब ५ वर्ष के बजाय ३ साल का समय रखा जावे। इसलिए मैंने यह रखा है और मैं समझता हूँ कि यह डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों के अनुकूल है, जनतन्त्रवाद के सिध्दान्तों के खिलाफ नहीं है। यदि जनतन्त्र के सिद्धान्तों के साथ-साथ जनतन्त्र को हर स्फियर (sphere) में लाना है तो उसका कोई भी अंग हमें नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कि लोग यह न कह सकें कि राजस्थान की एसेम्बली या भारतवर्ष की एसेम्बली इस प्रकार के कानून बनाती है जो एक तन्त्रीय शासन के कानूनों को भी मात करते हैं। (घण्टी) (अश्रव्य) इसीलिए मैंने यह निवेदन किया है। मैं समझता हूँ कि सरकार इसको स्वीकार करेगी।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ४ में मेरा एक साधारण सा संशोधन है और वह यह है कि "chairman" शब्द के आगे "and the Secretary" भी जोड़ दिया जावे।

[श्री हरिदेव जोशी]

ऑर्डिनरी ड्राफ्ट में बोर्ड के मेम्बर और चेयर-मैन आदि का प्रोविजन है। मगर बोर्ड में सेक्रेट्री होना जरूरी है इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है। आशा है इसे सरकार स्वीकार करेगी और इसके अनुसार जहाँ-जहाँ इसका सम्बन्ध पड़ता हो वहाँ पर यह संशोधन उसी प्रकार कर दिया जावेगा।

इसके अलावा क्लॉज ४ के सब क्लॉज़ (३) के प्रोविज़ों के (b) के बाद में शब्द 'or' करके आगे पार्ट (सी) इस प्रकार कर दिया जावे :—

" (c) has failed to perform his duties. "

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एमेन्डमेंट क्लॉज़ ४ के प्रोविज़ों के सब क्लॉज़ (ए) में है। क्लॉज़ ४ के प्रोविज़ो के सब क्लॉज़ (ए) में यह दिया हुआ है कि यदि बोर्ड का कोई सदस्य किन्हीं विशेष कारणों से अयोग्य हो जावे तो आचार्य विनोबा भावे या अखिल भारतीय सर्व सेवा-संघ की सलाह से उसको हटाने का अधिकार होगा। लेकिन मेरे संशोधन के अन्तर्गत जिन जिन लोगों को हटाया जावेगा, वे ये हैं :-

" (a) who has become physically incapable of acting as such member, or;

[b] has so abused his position as to render his continuance in office, detrimental to publice interest,"

(ए) में मेरा संशोधन यह है कि "Physically" के बाद "or mentally" बढ़ा दिया जावे; जो शारीरिक दृष्टि से अयोग्य होंगे उनको तो हटाया ही जावेगा बल्कि जो मानसिक दृष्टि से भी अयोग्य हो जावे उनको भी निकाल दिया जाना चाहिए। आम तौर पर पागल आदमियों को बोर्ड में या किसी भी जगह नहीं रखा जाता है। इसलिए यदि बोर्ड में कोई पागल व्यक्ति हो तो उसको भी निकाल दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, बोर्ड बनने के बारे में दो अलग-अलग संशोधन पेश हुए हैं। एक में कहा गया है कि जो पंचायतें कायम हों उनके द्वारा इन बोर्डों का निर्माण हो और दूसरा यह है कि जो भूदान में योग देते हैं, जमीन दान देते हैं उन्हीं के द्वारा इस बोर्ड को बनाया जाना चाहिए और उन्हीं का यह बोर्ड होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को देखता हूँ कि बहुत से संशोधन जो हमारे सामने आ रहे हैं वे इस सारे बिल की भावना को और जो यह भूदान यज्ञ का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की मूल विचार-धारा को सही तौर पर न मानने के परिणाम स्वरूप ही है। माननीय उपाध्यक्षजी, यह कहा गया कि चुनी हुई पंचायतों के जरिये ये बोर्ड्स होने चाहिये। किसान ही अपनी जमीन का बँटवारा ठीक ढंग से कर सकता है और दूसरे अगर करेंगे तो दुरुपयोग होगा, भ्रष्टाचार होगा और कई बातें उनके साथ

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जोड़ी गई । मैं समझता हूँ कि कानून तो अब बन रहा है और कानून के जरिये कुछ बन्धन ही लगा रहे हैं कि किस तरह से वे सारी की सारी चीजें की जायंगी। कानून तो कुल मिलाकर भू-दान में जो जमीन दी जाती है उसके वितरण को लीगल शेप (legal shape) देने के लिये है। बाकी जमीन देने के बारे में दबाव डालने वाला या जमीन किस तरह से बांटी जाय, उसकी व्यवस्था करने की बात उसमें नहीं है। भू दान में काम करने वालों के सम्बन्ध में यहां पर सदस्यों ने कहा कि कई अलग-अलग प्रकार के लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको जमीन देने से उसका गलत उपयोग होगा। जमीन देने वाले जानते हैं कि जमीन का दान किनके द्वारा कर रहे हैं और किस उद्देश्य से कर रहे है। जब वह उद्देश्य स्पष्ट है और भू-दान करने वाला इसलिये करता है कि उसके पीछे आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा है, स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिये भरोसा है और कार्यक्रम में भरोसा है, उसको लक्ष्य में रख कर जब एक आदमी जमीन देता है तो मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है कि एक आदमी स्वेच्छा से दान देना चाहता है, दान देता है दूसरों की प्रेरणा से लेकिन हम यह कह देते हैं कि जिसने दान दिलवाने का प्रयत्न किया है उसको तो अधिकार नहीं दिये जायं, वितरण करने के और खर्च करने के अधिकार हमको दे दिये जायं।

एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भू-दान के कार्यक्रम में जैसा कई दफा कहा जाता है, समझा जाता है कि कांग्रेस के व्यक्ति जो शासन करते हैं उनका मोह है कि इससे राजनैतिक लाभ उठाये जायंगे। मैं समझता हूँ कि यह बहुत गलत बात होगी। स्पष्ट तौर पर हिन्दुस्तान और दुनिया जानती है कि आचार्य विनोबा भावे किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं हैं। आज के शासन की भी वे कई बार टीका करते हैं। आचार्य विनोबा भावे के साथ बाबू जयप्रकाश, जिनकी विचारधारा कांग्रेस से बहुत से माने में भिन्न है कार्य करते हैं तथा और मित्र भी भू-दान के कार्य में, जमीन के बंटवारे के सम्बन्ध में काम करते हैं। चाहे साम्यवादी मित्र हों या कोई हों, वे चाहें तो वे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। किन्तु, प्रश्न यह होता है कि वे उस विचारधारा को मानें। अगर वे उस कार्यक्रम में राजनैतिक दृष्टि से आवेंगे तो रुकावट होगी। दिमाग के अन्दर इस प्रकार की झिझक रखना, मैं समझता हूँ कि आवश्यक नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल को हम इसलिये पेश कर रहे हैं कि कहीं कांग्रेस के सदस्य शासन के विरुद्ध विद्रोह न कर दें, उनको काम पर लगाना चाहते हैं और इस प्रकार उनको सहयोगी बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में दो प्रकार की दलीलें चल रही हैं। एक तरफ सोचा जाता है कि ऐसी बातें होंगी, वैसी बातें होंगी, मठ हो जावेंगे, मठाधीश हो जावेंगे और न मालूम क्या-क्या बड़ी बातें हो जावेंगी। दूसरी तरफ एक सदस्य ने कहा कि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य उधर (राज्य पक्ष) जा रहे हैं इसलिए उन्हें अपना बनाने के लिए यह बड़ी चीज दी जा रही है, यह कानून दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि भू-दान यज्ञ को वे लोग चला रहे हैं जो कांग्रेस से असन्तुष्ट हैं। फिर भी हमने यह किया है कि उनके हाथ मजबूत करने के लिए, उनको अवसर देने के लिये, कानून बना कर उनको और मौका दें। कानून

Page No.68

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बनाने के पीछे निश्चित तौर से हमें यह विश्वास है कि जो उस काम को करते हैं उनमें उस कार्य के प्रति एक प्रमाणिकता है, उस कार्य को सही रूप में चलाने की भावना है, चाहे वे शासन के खिलाफ रहते हों, चाहे वे कांग्रेस के खिलाफ रहे हों या और कोई विचारधारा रखते हों, लेकिन वे इस कार्य को देश के हित में चलाना चाहते हैं, बिना किसी झिझक के। हमने यह चीज़ सामने रखी है कि आचार्य विनोबा भावे और उनके साथी, माननीय उपाध्यायजी, इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि राजस्थान में अच्छे व्यक्ति इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और उन्होंने जो हाथ रखा है उसको देखते हुए मैं आशा करता हूँ कि दुरुपयोग होने की जो बात कही गई है उसकी सम्भावना नहीं हो सकती है और अगर ऐसी बात आयी तो उन लोगों को हटाने के बारे में मूल धारा में ये बातें रखी गई हैं कि ठीक तौर पर काम नहीं कर रहे हैं तो हटाये जा सकते हैं, मेम्बर बन गया हो और पूर्ति न हो तो हटाया जा सकता है, बोर्ड के अधिक मेम्बर खिलाफ हों तो हटाया जा सकता है। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूँ कि एक-एक कार्य के लिये एक-एक जगह चुनाव न करके ऊपर से नीचे तक उसको ठीक ढंग से चलायें तो ठीक होगा। चुनाव की बातों में न जाकर व्यक्ति विशेष की भावना को कायम रखते हुये जो कार्यक्रम चले उसको चलाते हुए आगे बढ़ना चाहिये और भूमि का ठीक ढंग से वितरण होना चाहिए। पहले-पहले ही यह नहीं किया गया कि पहले कानून बने और फिर कार्यक्रम। कार्यक्रम तो पहले से ही चल रहा है। तो इन चीजों को देखने के बाद और विश्वास प्राप्त होने के बाद हमने यह कहा कि इस प्रकार की चीज़ बने तो अच्छा हो और इस प्रकार की चीजों के साथ देश में काम करें। मैं समझता हूँ कि अलग-अलग जगहों पर जहां यह काम चल रहा है लोगों पर अच्छा असर हुआ है। इस कार्यक्रम में न केवल भू-दान की ही बात है किन्तु धन के दान की भी बात है। आर्थिक दृष्टि से भी आपको उसे सबल बनाने के लिये धन के दान की आवश्यकता होगी। जमीन पर बसाने के लिये अगर उसके पास धन नहीं होगा, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो वह वहां कैसे बस सकेगा और किस प्रकार कमा सकेगा। तो भू-दान के साथ धन-दान आदि की बातें आ रही हैं और फिर हम कहेंगे कि उनके मेम्बर भी इसमें सम्मिलित होने चाहिये। तो फिर वे चीजें उलझन भरी हो जावेंगी। इस कानून की मंशा यह है कि जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मदद दें। हो सकता है कि किसी स्टेज पर ऐसा अवसर आ जाय कि इन चीजों में यदि दुरुपयोग हो रहा है तो माननीय उपाध्यायजी, सदन को हमेशा अधिकार है कि जो कानून उसने पास किया है उसके जरिये यदि कोई दुरुपयोग हो तो वह उसमें संशोधन करे। यह तो उस वक्त करना उपयुक्त हो सकता है जब कि इसका दुरुपयोग हो। आज तो इसकी आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यायजी, मैं इस प्रकार के इस स्टेज पर संशोधन के लिए कतई सहमत नहीं हूँ।

मैं इस बारे में यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो आदमी आज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं यदि वे किसी अन्य क्षेत्र में होते तो कहीं ज्यादा सुखी होते और अच्छी जिन्दगी बिता सकते। जो व्यक्ति केवल मात्र अपने जीवन-निर्वाह के लिये कुछ लेकर सारा का सारा जीवन इस क्षेत्र में लगा रहे हैं तो उनके लिये यह कहना कि कुछ वैतनिक आदमी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं इसलिये यह

Page No.69

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

महत्वहीन है, तो यह कोई युक्ति-युक्त बात नहीं है। उनमें कुछ काम करने की लगन है और वे उसी लगन से काम करते हैं यह एक बहुत बड़ी चीज है बमुकाबले इसके कि कोई लखपति हो और वह बिना कुछ लिये काम करे। हम उस लखपति के, जो निःशुल्क काम करता है बजाय उस व्यक्ति की, जो अपने जीवन-निर्वाह के लिये कुछ कार्य करता है, ज्यादा कद्र करेंगे। आज जितना खर्चा वे ले रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति का मुश्किल से निर्वाह होता है, फिर भी वे इस कार्य-क्रम के लिये अपना जीवन दे रहे हैं, वह कहीं ज्यादा अच्छा हो सकता है बजाय इसके कि निशुल्क काम करने वाले करोड़पति या लखपति के।

एक तथ्य की बात यह भी कही गई कि हम उनको कोई ऊँचे अधिकार नहीं दे रहे हैं, आम तौर पर दूसरों के अधिकारों को छीनकर दे रहे हैं। कई व्यक्ति मिलकर जमीन देते हैं और कहते हैं कि इसका बंटवारा करिये। जमीन के बंटवारे का तरीका यह है कि उस जमीन का तहसील कमेटी या बोर्ड द्वारा बंटवारा होता है। भूमि-वितरण करने की क्रियायें भूमि देने वाले और भूमि को लेने वाले और गाँव के दूसरे सब लोग मिल कर वहाँ की जमीन का बटवारा करेंगे, केवल दो-चार व्यक्ति जमीन का बंटवारा नहीं करते। उस बंटवारे में सारा का सारा गाँव शरीक होता है। यह तो और ज्यादा अच्छा है उसके बजाय कि कुछ चुने हुए व्यक्ति बैठकर किसी जमीन का बंटवारा करें। तो इस प्रकार का भय और शंका रखना निर्मूल है कि इसमें धाँधलेबाजी होगी।

एक संशोधन दाँता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। उसके साथ-साथ जो माननीय सदस्य बाडमेर से आये हैं, उन्होंने जो संशोधन दिया है उसको स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नही और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन को भी स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, काफी बहस इस प्रश्न पर हुई है। मुझे आशा थी कि भूदान के बारे में कुछ न कहते हुए भू-दान बोर्ड के बारे में कुछ जिक्र होता। लेकिन मेरे माननीय मित्र ने इस बात को टाल दिया, यह कह कर कि यह भूदान-आन्दोलन एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। लोग इसके महत्व को जानते हुए अब भूदान के बाद संपत्ति-दान देने लगे हैं, इससे मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली है। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि आचार्य श्री विनोबा भावे के नये शिष्य जो ट्रेज़री बेन्चेज़ पर तैयार हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें मेरी तरफ से यह सुझाव है कि अगर आचार्य श्री विनोबा भावे ने भू-दान, संपत्ति दान आदि इस प्रकार के आन्दोलन शुरू किये हैं तो माननीय मन्त्रीजी को चाहिये कि वे एक मिसाल राजस्थान में कायम करें और सबसे पहले अपने इस राज्य में जो बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार-दान का आन्दोलन शुरू कर दें तो वे हमारे इस राज्य में, जो हर महकमे में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको कम कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उन मन्त्री महोदय से जो इरिगेशन के मन्त्री हैं उनको भी प्रोत्साहित करूँगा कि वे हठ-दान करें। वे हठ रखते हैं इसी कारण गंगानगर में चल रहे आन्दोलन में ५००–६०० व्यक्ति जेल में पड़े हुए हैं। अगर वे अपने हठ को छोड़ देते हैं तो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उन व्यक्तियों को इससे राहत मिल सकती है । अगर इस प्रकार की धार्मिक प्रणाली हमारे इस प्रान्त में शुरू हो जाय तो हमारे प्रान्त का भला हो सकता है । मुझे तो माननीय मन्त्री के सारगर्भित और जोशीले भाषण को सुनकर यह महसूस होने लगा कि कल से ही वे इस प्रकार के नये-नये आन्दोलन शुरू करने वाले हैं । इन शब्दों के साथ जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है उसके लिये मैं प्रेस नहीं करता और सदन अगर इजाजत देता है तो मैं इसको वापिस लेने के लिए तैयार हूँ ।

श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विषय में माननीय मन्त्रीजी ने जो फरमाया उससे ऐसा मालूम नहीं हुआ कि अगर उस बोर्ड में उन भूमिदान देने वाले व्यक्तियों को लिया जायगा तो उनको किस प्रकार की आपत्ति होगी । अगर वे लोग या तो ऐसे समझे जाँय कि भूदान जो वास्तविक अर्थ है उससे प्रेरित नहीं है, यह बात तो मानने योग्य नहीं कही जा सकती क्योंकि अगर भूदान आन्दोलन की भावना से अगर वे प्रेरित नहीं होते तो वे भूदान-आन्दोलन में किसी प्रकार का सहयोग देने को तैयार नहीं होते और किसी भी हालत में कुछ व्यक्तियों के कहने मात्र से भूदान कर देते । भूमिदान उस वक्त हुआ जबकि आचार्य विनोबा भावे द्वारा और कुछ कार्यकर्त्ताओं द्वारा यह आन्दोलन शुरू किया गया और उनकी अपील से प्रेरणा प्राप्त कर लोगों को यह अनुभव हुआ कि भारतवर्ष मी भूमि समस्या का हल करने के लिए भूमिदान का आन्दोलन आवश्यक है और उसी भावना से प्रेरित होकर लोग ऐसा करते हैं । । आज महज यह कह कर कि जिन लोगों ने भूमि का दान किया है उनकों इस प्रकार का अधिकार देना एक प्रकार की अशान्ति पैदा होगी, यह बात जो कभी मानने योग्य नहीं कही जा सकती । जिन लोगों ने इनकी अपील से प्रेरित होकर जो भूमिदान दिया है वे इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे कि उनसे दूसरे लोग इस प्रकार की प्रेरणा लें, वे दूसरे लोगों को कनविन्स करेंगे । इस भूदान-आन्दोलन से प्रेरित होकर, उससे प्रभावित होकर भूमियाँ दान दीं ताकि भूमि की समस्या का हल हो सके । वे उन लोगों के मुकाबले जो बिना किसी दान दिये यह कह कर आगे आते हैं कि हमने किसी प्रकार के वेतन नहीं लिये, इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए आगे आते हैं तो व ज्यादा अच्छे और ईमानदार साबित हो सकते हैं । इसके लिए माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि यह बात इस आन्दोलन की मूल भावना से परे जाती है । मेरा यह मानना है कि मूल भावना से परे जाने का प्रश्न नहीं उठता । जिस प्रकार से जो भूमि दान करने वाले हैं उन लोगों के जरिये ऐसा वातावरण निर्माण होगा जिस वातावरण के प्रभाव से इस भूदान के विरुद्ध जो भी आवाज आती है वह नहीं आवेगी, क्योंकि जिन लोगों ने भूदान आन्दोलन की प्रेरणा से प्रेरित होकर दान दिया या और किसी प्रकार दान देने की तैयारी की है उन लोगों से ज्यादा अनुकूल और अच्छा वातावरण पैदा होगा और जो संभावना आपने प्रगट की है वह कभी पैदा नहीं होगी । सम्भावना उन लोगों से पैदा हो सकती है जिन लोगों को अलाउन्स दिया जाता है और जो अवेतनिक काम करते हैं या मामूली सा खर्चा लेकर काम करते हैं । उन लोगों का मन डिग सकता है, उन लोगों का मन दूसरी ओर आकर्षित हो सकता है । वे यह सोच सकते हैं कि हमारे परिवार का जीवन-निर्वाह इससे होता नहीं है, हमें इस

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

प्रकार का कार्य करना चाहिये जिससे हमारा जीवन अच्छी तरह से चल सके, उन लोगों के बारे में शंका हो सकती है। लेकिन जो जमीन का दान करते हैं वह इस प्रकार का दान नहीं है जिसमें उनमें किसी प्रकार उनके चरित्र में शक करने की गुन्जाइश रहे। अगर यह कहा जाय कि डोनेट (donate) करने वालों में किसी प्रकार के कार्यकर्त्ता नहीं, इसलिए यह प्रोवीजन रखा है कि जितने व्यक्ति आवे उन व्यक्तियों में से २ को सरकार मनोनीत कर सकती है, जितने आदमी चुनकर आवें उनमें दो आदमी सरकार अपनी मरजी के अनुसार जिसे वे सुपरस्यु मेन समझें, उनको मनोनीत करें, जो अपने बुद्धिबल से या तपोबल से उन व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव डाल सकें। जो चुन कर आते हैं, वे इस प्रकार की प्रेरणा लेकर लोगों में जायेंगे और इस आन्दोलन में सक्रिय सहयोग दें और दूसरे लोगों के पास आकर जमीन देने के कार्यक्रम को रखें।

अब महज यह कह कर आप मूल भावना से विपरीत जावेंगे। इससे वास्तविक चीज़ दूर चली जावेगी।

या तो इस चीज़ को मन्जूर न करने की चीज है, यह कह देना या यह कह देना कि ऊपर से यह लिखा हुआ आया है जैसा कि कल एक सदस्य ने कहा कि ऊपर से यह इत्तला आई है, तो ऐसा कह देने का कोई मतलब नहीं होता। उनको इसके साथ इस चीज की भी कद्र करनी चाहिये कि यहाँ के लोगों को इसके बारे में क्या आवाज है ?

बिहार में अगर एक चीज एक तरह से सफल हो सकती है तो राजस्थान में भी वही चीज उसी तरीके से सफल हो, यह उचित नहीं है। राजस्थान की अपनी समस्याएं हैं, यहाँ की अपनी परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में यहाँ दूसरे तरीके हो सकते हैं, इस चीज को सफल बनाने के। तो तरीके हमारे अलग-अलग हो सकते हैं।

जब हम यह मानते हैं कि जमीन देने वालों की भावनाएं अलग अलग होंगी तो मैं यह भी बताऊँगा आपको कि प्रान्त के लोगों की भावनाएं भी अलग-अलग होंगी। तो इसलिए इस दृष्टि से इनके तरीके भी, इसकी प्रणाली भी अलग-अलग होगी, किसी भी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए भी अलग-अलग प्रणाली होगी।

राजस्थान के बारे में मैं निवेदन करूँगा माननीय उपाध्यक्षजी, कि यहाँ जब तक इस प्रकार के लोग भूदान में काम करने वाले रहेंगे और जब तक ऐसे लोग ही इसमें दान देते रहेंगे जिनके पास कि पड़त जमीन पड़ी है, या कि जिनकी कानून बन जाने पर सरकार जब्त करने वाली है, या जो बेकार जमीन है, जिससे कोई पैदावार पैदा नहीं हो सकती या जो गोचर भूमि है और जिसे गलत तरीकों से अधिकार में कर लिया गया है और जिसको वापिस लेने के लिए कोई कार्यवाही चल रही है और जिसके फलस्वरूप जिसके छीन जाने की सम्भावना है तो ऐसी जमीनों को नाम मात्र के लिए दान में दे सकते हैं पर वास्तविक रूप में जो अच्छी जमीन है और जिसमें अच्छी पैदावार हो सकती है वैसी जमीन नहीं दे सकते, तब तक यह आन्दोलन इस राजस्थान में

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

सफल नहीं हो सकता और इससे कोई भूमि-समस्या यहाँ की हल नहीं हो सकती।

इसलिए मेरा यह कहना है कि बोर्ड का चुनाव नोमीनेशन की पद्धति से नहीं, चुनाव की पद्धति से चुनावों, के आधार पर इस बोर्ड की स्थापना की जाय ताकि जनता के सही आदमी इन लोगों के स्थान पर आ सकें और सही दिशा में काम हो सके; मनोनीत न किये जावें।

श्री उपाध्यक्ष—चूँकि श्री हरिकृष्ण व्यास अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं, इसलिए क्या हाउस की अनुमति है इसमें ?

(अनुमति प्रदान की गई)

अनुमति दी जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन जो श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—दो संशोधन जो श्री हरिदेव जोशी और श्री तनसिंह ने उपस्थित किये वे मिनिस्टर महोदय ने स्वीकार किये, इसलिए क्या हाउस की सम्मति है कि ते दोनों प्रस्तुत सन्शोधन स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

सन्शोधन स्वीकार किये गए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज न० ४, जैसा कि सन्शोधित रूप में है, स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

क्लॉज न० ४ सन्शोधित रूप में बिल में अङ्ग रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज ५

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—उपाध्यक्षजी, मेरी समझ में इससे आगे हम न चलें तो अच्छा है। न तो रोशनी ही पूरी है और न हवा का ही बन्दोबस्त है और न सदस्यों की तरफ से किसी काम में दिलचस्पी ली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर यही तय है कि किसी तरह से यह बिल पास ही हो जावे तो मैं अपने उन साथियों से जिन्होंने अपने संशोधन पेश किये हैं प्रार्थना करूँगा कि वे सरकार को मदद देने के लिए अपने सभी संशोधन वापिस ले लें और इस बिल को पास हो जाने दें। नहीं तो सरकार अच्छा वातावरण बनाने का प्रबन्ध करे, जब कि सभी काम करने की दिलचस्पी रक्खें। सभी बन्दोबस्त, काम करने की व्यवस्था अच्छी तरह की जावे तो यह काम किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो थोड़ा और चल लें। अभी तो चलें, नहीं तो यह पूरा नहीं होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मेरा खयाल है कि आधा घंटा और चल लें। पर काम करने की ठीक व्यवस्था नहीं है इस हालत में अगर मेरे मित्रों की यह मंशा है कि कल काम करें तो मुझे इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। हमारी तरफ से कोई बहस की बात नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—पर व्यवस्था सरकार द्वारा मौजूद होनी चाहिये। इसके बाद में काम करने का तरीका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सही बात तो यह है कि इस प्रकार का वातावरण और व्यवस्था तो सुबह ही हो सकती है। अभी तो गरमी भी काफी पड़ती है। तो, इस पर विचार किया जावे तो अच्छा है।

श्री तनसिंह—इसलिए राजधानी जयपुर से हटाकर दिल्ली ले जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मिस्टर व्यास अपने अमेंडमेंट को मूव करेंगे। मिस्टर व्यास, क्लॉज़ ५।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं साहब, मैं तो नहीं करूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय उपाध्यक्षजी......

श्री हरिकृष्ण व्यास (श्री हरिदेव जोशी के संशोधन पर)—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, १३६ धारा के मातहत ऐतराज करता हूँ और एक रूलिंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जब कि कट मोशन्स तीन चार घंटे लेट थे उस समय यह रूल एडॉप्ट नहीं किया गया और एक ही

Page No.74

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दिन का नोटिस है तो यह बराबर की बात है; ऐसी आशा रखकर इस अमेंडमेंट पर मैं एतराज करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—इसकी इजाजत पहले हो चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो हर एक अमेंडमेंट पर ऐतराज हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत देता हूँ, लेकिन यह पहला सिलसिला चल रहा है इसलिए अब कोई नई बात नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी—मेरा संशोधन यह है कि मूल पांचवें क्लॉज के बदले यह सब्स्टीट्यूट स्वीकार किया जावे कि :

"Shri Acharya Vinoba Bhave or, in his absence, the Akhil Bharat Sarva Seva Sangha Wardha, may, at any time, dissolve the Board and reconstitute the Board in accordance with the provisions of this Act.

(2) The order dissolving the Board shall be notified in the Rajasthan Gazette and shall take effect on the date on which it is notified."

इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि जो मूल क्लॉज़ है वह कुछ इतना लम्बा और अस्पष्ट है कि उससे जो मकसद चाहते हैं यानि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि डिज़ोल्विंग ऑथोरिटी कौन है, यह स्पष्ट नहीं है।

जहां नामीनेट करने का अधिकार आचार्य विनोबा भावे को दिया गया है वहां डिज़ोल्व करने का अधिकार भी उन्हीं को दिया आना चाहिये और अगर वे अनुपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में सर्व सेवा संघ की राय ली जानी चाहिये। तो इसलिए इतने लम्बे क्लॉज़ की इसके लिए आवश्यकता नहीं है और केवल यही स्पष्ट करने की जरूरत है कि अगर कभी जरूरत हो डिज़ोल्व करने की तो श्री आचार्य को यह अधिकार हो और उनकी अनुपस्थिति में सर्व सेवा संघ की राय ली जा सकती है और जब डिज़ोल्व हो तो वह राजस्थान गजट में नोटिफाई किया जावे। यही मेरी मन्शा है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूँ सिंह।

श्री भैरूँ सिंह—मैं अपना संशोधन उपस्थित करना नहीं चाहता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्षजी, इसके बारे में अगर माननीय सदस्य को ऐतराज नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि कल इस क्लॉज को लिया जाय। मैं उस पर विचार करना चाहूँगा कि वह ठीक है या नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, यह किसके बारे में सोचा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री हरिदेव जोशी ने पेश किया है उसके बारे में कन्सीडर करना चाहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्रीजी ने कहा है "यदि माननीय सदस्य को ऐतराज नहीं हो तो", तो किस माननीय सदस्य से इजाजत ली गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय सदस्य से मतलब नहीं है। मैं इस पर विचार करना चाहता हूँ और कल इसको लिया जाय या जब भी विचार किया जाय उस वक्त मैं अपना जवाब देना पसन्द करूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज ५ को कल के लिए स्थगित किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'कल' का मतलब "नेक्स्ट ऑफिशियल डे" से ही है।

श्री उपाध्यक्ष—यहां कल तो प्रोग्राम है, इसलिये नेक्स्ट ऑफिशियल डे है।

(विराम)

क्लॉज ६

(विराम)

क्लॉज ६ पर कोई संशोधन नहीं है।

The question is that Clause 6 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 6 is added to the Bill,

(विराम)

क्लॉज़ ७, श्री भैरूँसिंह।

श्री भैरूँसिंह (बि० सं० १६)—मैं अपना संशोधन उपस्थित करना नहीं चाहता हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज ७ के लिए यद्यपि मेरा कोई संशोधन नहीं है, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया हूँ इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि उस पर गौर करें। उसमें लिखा है :

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

"It shall be the duty of the Board to administer all lands vested in it for the benefit of the Bhoodan Yagna". "For the benefit of the Bhoodan Yagna" के बजाय "for the benefit of the landless to whom the land will be allotted" होना चाहिए। "For the benefit of Bhoodan Yagna" मेरी समझ में नहीं आया है। It is not for the benefit of the Bhoodan Yagna, but it is for the benefit of those landless cultivators to whom land will be allotted.

"for the benefit of Bhoodan Yagna" गलती से लिखा गया है। मेरी समझ में नहीं आया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि 'भूदान यज्ञ' की परिभाषा को इसके साथ देखा जायगा तो उससे स्पष्ट हो जायगा।

श्री हरिदेव जोशी—मेरा इस पर संशोधन है, सब क्लॉज (१) में "for the benefit of Bhoodan Yagna" के बजाय "for the purpose of Bhoodan Yagna" कर दिया जाय। 'बेनिफिट' की जगह "पर्पज़" कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपने कोई संशोधन नहीं दिया है। नई तजवीज कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी—जी नहीं, मैं संशोधन पेश कर चुका हूँ। मेरा संशोधन है। यह जो लिस्ट सक्युलेट की गई है, लिस्ट नं० ४, उसके सेकन्ड पेज पर है।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये मैं यह समझता हूँ कि यह संशोधन फिर किया गया है। "भूदान यज्ञ" के बाद मूवमेंट की जरूरत नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"For the purpose of Bhoodan Yagna" वही सफिशियेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—ओरीजिनल में तो 'भूदान यज्ञ' के साथ 'मूवमेंट' और है। (श्री हरिदेव जोशी से) Then you accept "for the purpose of the Bhoodan Yajna". I think you have no objection to drop "movement".

श्री हरिदेव जोशी—No, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—The question is that Clause 7, as amended, be accepted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, has the word in the amendment i. e. "movement" been withdrawn ?

श्री उपाध्यक्ष—जी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'मूवमेंट' जो श्री हरिदेव जोशी ने रखा था वह उन्होंने विथड्रा नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष—This has been accepted by the Minister concerned, मैं क्लॉज़ ७ को पहले रख रहा हूँ। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ पास की जाय।

(स्वीकृत)

Clause 7 is added to the Bill.

(विराम)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—एमेंडमेंट क्लॉज ७ पर रखा गया था। तो, पहले यह एमेंडमेंट जो क्लॉज़ ७ पर रखा गया है वह माननीय मन्त्रीजी ने स्वीकार तो कर लिया लेकिन वह हाउस की अनुमति से हो कि यह क्लॉज ७ पर रखा गया एमेंडमेंट स्वीकार किया जाय 'Yajna' itself is a movement according to Definitions.

श्री हरिदेव जोशी—I do not press for the word "movement".

श्री उपाध्यक्ष—'मूवमेंट' को बदलने का जो संशोधन है वह स्वीकार हाउस की अनुमति से हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, 'मूवमेंट' वाला संशोधन है वे कायदे से उसे वापिस लेलें।

श्री उपाध्यक्ष—This is further amendment to the amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—When the amendment as a whole is put before the House and the Member concerned wants to withdraw a part of it, the procedure is that it would be left to the House to allow the Member to withdraw it, and if the House permits to withdraw it, it is finally withdrawn.

श्री उपाध्यक्ष—The Minister accepts his amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He accepts only part of the amendment moved and he requests to withdraw the word "movement".

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What is the amendment as accepted, I have not followed ?

श्री उपाध्यक्ष—"For the benefit of Bhoodan Yagna" के बजाय "For the purpose of Bhoodan yagna" किया है। इसमें "For the benefit" के बजाय "For the purpose" रखा है। 'भूदान यज्ञ' तो पहले से ही दोनों में ही मौजूद है। This is the amendment accepted. Now, the question is that Clause 7 be accepted.

Page No.78

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सदस्य ने जो पहला एमेंडमेंट रखा था उसमें 'मूवमेंट' शब्द रखा था और अब वे उसको प्रेस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सदन में कोई प्रस्ताव मूव तो कर सकते हैं लेकिन विथड्रा करने में हाउस की अनुमति माँग कर ही विथड्रा करना चाहिए। 'मूवमेंट' शब्द ओटोमेटीकली ड्राप नहीं होता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—This is only proforma. He has withdrawn.

श्री हरिदेव जोशी—अगर यह आवश्यक है तो इस 'मूवमेंट' शब्द को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इनको इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

इनको इजाजत दी जाती है।

श्री हरिदेव जोशी—इसको वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री हरिदेव जोशी का संशोधित संशोधन स्वीकार किया जावे

(स्वीकृत)

संशोधन संशोधित रूप से स्वीकार हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ संशोधित रूप में स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधित खण्ड ७ विधेयक में अङ्ग रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज ७ ए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ ए स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ ए विधेयक का अङ्ग बना।

(विराम)

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिदेव जोशी अपना संशोधन पेश करें।

श्री हरिदेव जोशी—मेरा संशोधन क्लॉज़ ८ में है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Clause 7 B has to be passed.

श्री उपाध्यक्ष—The question is that Clause 7 B be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 7 B is added to the Bill.

(विराम)

Clause 7 C

(विराम)

The question is that Clause 7 C be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 7 C is added to the Bili.

(विराम)

Clause 8

श्री हरिदेव जोशी—क्लॉज़ ८ में मेरा साधारण सा संशोधन है। "Such land to the Bhoodan Yagna" के बाद शब्द "Board" बढ़ा दिया जाय, क्योंकि बोर्ड से सम्बन्धित यह क्लॉज़ है। इसमे मेरे ख्याल से मंत्रीजी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I agree.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—How it will be 'Board' ? In the definitions, it is a movement; the donation will be made to the movement. The Board is a transitory thing which will be under change every year.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Does not matter. The land is vested in the Bhoodan Yagna Board. The word 'Board' should be there.

श्री उपाध्यक्ष—It will vest in the Board.

(विराम)

जो संशोधन श्री जोशी ने पेश किया है उसे मन्त्रीजी ने स्वीकार कर लिया है। प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन को स्वीकार किया गया।

[विराम]

The question is that clause 8, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 8, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 8 A

(विराम)

The question is that clause 8—A be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 8—A is added to the Bill.

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

Clause 8 B

(विराम)

The question is that clause 8—B be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 8—B is added to the Bill.

(विराम)

Clause 8—C, Shri Joshi.

श्री हरिदेव जोशी—इसमें मेरा साधारण संशोधन है। प्रोविजन यह है कि जो भूदान बोर्ड के सिलसिले में तहसील कमेटियां बनाई जांय उनके लिये इसमें रखा गया है कि "in Consultation with Acharya Vinoba Bhave or Akhil Bharat Sewa Sungha, Wardha" यानि उनकी राय से ये कमेटियां बनाई जांय। मैं नहीं समझता कि यह ठीक है क्योंकि जब आचार्य विनोबा भावे ने बोर्ड का निर्माण कर दिया है तो तहसील कमेटियों का निर्माण बोर्ड के सदस्यों पर ही छोड़ देना चाहिये। मेरा सन्शोधन यह है कि 'Members to be appointed by the Board' के बाद में जो शब्द हैं 'in consulation with Shri Acharya Vinoba Bhave or Akhil Bharat Sewa Songh, Wardha,, को डिलीट कर दिया जाय।

क्लॉज़ ८ सी (२) जो इस प्रकार है :—"8—C (2)—The members of the Tehsil Committees shall be chosen by the Board from amongst persons residing within the area of the Tehsil." इस पूरे सब क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। कई बार ऐसा होता है कि इसके लिये उपयुक्त व्यक्ति न मिलने से इस पाबन्दी के अनुसार अनुपयुक्त व्यक्तियों को भी लेना पड़ेगा और दूसरे उपयुक्त व्यक्तियों को भी छोड़ना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से मेरा यह प्रस्ताव है कि इस सब क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—जहाँ तक पहले संशोधन का प्रश्न है, जिसमें बोर्ड को हक हो कि तहसील कमेटियाँ बनावें, उसे स्वीकार करने में मुझे ऐतराज नहीं है। तहसील में रहने वालों की कमेटियें बनाई जांय यह प्रोविजन ओरिजिनल बिल में जैसा है वैसा ठीक है। इस मूवमेंट के लिये काम करने को तहसील में रहनेवाले काफी लोग मिल जायेंगे। जमीन जब तहसील की है तो वहीं लोगों को कमेटियों में रखना जरूरी है। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि आपने जो दूसरा अमेन्डमेंट सब-क्लॉज (२) को डिलीट करने का रखा है उसको वापिस लेलें। पहले वाले अमेन्डमेंट को मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—8—C (१) में डिलीट करना मिनिस्टर महोदय ने मन्जूर किया है।

श्री हरिदेव जोशी—सब क्लॉज (२) को डिलीट करने का मेरा जो अमेन्डमेंट है उसको मैं वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या हाउस की अनुमति है कि इनको वह अमेन्डमेंट वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(आज्ञा प्रदान की गई)

सब क्लॉज (२) को डिलीट करने के अमेन्डमेंट को वापिस लेने की इजाजत दी गई ।

श्री हरिदेव जोशी—मैं अपना द्वितीय संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सदस्य ने क्या कहा ?

श्री हरिदेव जोशी—अमेन्डमेंट वापिस लिया ।

श्री तनसिंह—मैं जो अमेंडमेंट रखना चाहता था वह भाग ही खत्म हो गया, इसलिये संशोधन रखने की आवश्यकता नहीं रही ।

श्री उपाध्यक्ष—Your purpose is served.

श्री भैरूँसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, ८ (सी) में तहसील कमेटियों की स्थापना के बारे में जो क्लॉज़ है उसमें मेरा संशोधन है कि तहसील कमेटियों के निर्माण में उन लोगों को आगे लिया जाय जिन्होंने भू-दान किया है । अभी जिस वक्त भू-दान बोर्ड की स्थापना के विषय में इस सदन में चर्चा हो रही थी तो उस वक्त मन्त्रीजी ने यह फरमाया था कि जब बोर्ड को यह आवश्यकता महसूस होगी कि इस आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये तहसील कमेटियों का निर्माण करना आवश्यक है उस जगह तहसील कमेटियाँ बनाई जावेंगी और उनमें सबका प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन मेरा संशोधन यह है कि उन तहसील कमेटियों के निर्माण की जिस समय जरूरत पड़े उस समय सदस्य नामजद करने में उन व्यक्तियों को प्रिफरेन्स दिया जाय जिन्होंने भू-दान दिया है । यदि उनको स्थान नहीं मिला तो ठीक नहीं रहेगा । यदि इस कानून में ही यह चीज़ आ जायगी कि उन लोगों को कमेटियों में लिया जाय तो; इसका वास्तविक अर्थ और हो जायगा ।

उन्हीं लोगों को इस बोर्ड में लेने से भूदान का अर्थ कुछ और हो जायगा । मैं समझता हूँ कि उन लोगों को तहसील कमेटियों में लिया गया तो अगर वह सक्रिय कार्यकर्त्ता भी नहीं हैं तो भी अपना व्यक्तिगत असर सारे क्षेत्र में डालकर लोगों में ऐसा वातावरण निर्माण करेंगे कि वे लोग ज्यादा से ज्यादा भूमि का दान करें ।

इसका अर्थ स्पष्ट यह होगा कि इसमें जो जमीन का दान देते हैं, दान इसलिए देते हैं कि भूमिहीनों में उस भूमि को वितरित किया जाय । ऐसे लोगों को बोर्ड में लेने से यह वितरण निष्पक्ष

[श्री भैरूँसिंह]

और सुचारुरूप से हो सकेगा और वे लोग जिस भूमिहीन को सबसे ज्यादा खराब हालत में समझते हैं उसको जमीन देंगे और इस बात का खयाल रखेंगे कि अमुक व्यक्ति के पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है। यदि कोई भूदान में जमीन दान देता है तो वह बोर्ड से इस प्रकार की भी अपेक्षा करता है कि जिस मतलब से जमीन उसने दान की है उसका वह मतलब हल होता है कि नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को बोर्ड में लेने से उनका विश्वास और सहयोग हमेशा प्राप्त रहेगा और अगर उन लोगों को बोर्ड में नहीं लिया गया और वितरण ठीक तरह से नहीं हुआ तो उन लोगों को असन्तोष होगा।

इसलिए, उन लोगों को सक्रिय रूप से प्रेरणा देने के लिए, भूदान में हाथ बँटाने के लिए आगे लाने की कोशिश करनी चाहिये।

इस बोर्ड में उन लोगों को प्रोपोर्शनेटली लिया जाय जिन लोगों ने कि भूमि का दान किया है, यही मेरा सन्शोधन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि मैं जो बातें पहले इस बारे में कह चुका हूँ, उन्हीं को दोहराना होगा, अगर मैं इसके जवाब में कुछ कहूँ। ऐसी सूरत में मैं यही कहूँगा कि मैं इस सन्शोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--जो (प्रथम) सन्शोधन श्री हरिदेव जोशी ने पेश किया और मिनिस्टर कन्सन्र्ड ने स्वीकार किया, क्या उसे स्वीकार करने की सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सन्शोधन स्वीकृत हुआ।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—मैं अपना सन्शोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़) मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ (सी) सन्शोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ सी विधेयक का अङ्ग बना।

(विराम)

Page No.83

Clause 9.

अनेक सदस्य—Now we are tired, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—So we adjourn for tomorrow till 5 p. m.

श्री हरिकृष्णव्यास—सुबह रखा जाय। हकीकत में इस समय किसी को दिलचस्पी नहीं रहती, सुबह रखा जाय तो क्या ऐतराज है?

सरकारी पक्ष की ओर से—No, no.

श्री उपाध्यक्ष—इसमें जल्द ही मीटिंग खत्म हो जाने का एडवान्टेज मिल जाता है। We will meet at 5 P. M. tomorrow.

[सदन की बैठक ८ बजकर २५ मिनट (सायंकाल) पर दूसरे दिन ५ बजे (मध्याह्नोत्तर) तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक–१६ मई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

———

परिशिष्ट १.

(कृपया प्रश्न संख्या ५६८ का उत्तर देखिये)

LIST OF AYURVEDIC & UNANI AUSHDHALAYAS OPENED DURING THE YEAR 1953-54.

S. No.		Name of Aushdhalaya.		Division.	District.
1.		Jobner	(B)	Jaipur	Jaipur.
2.		Geejgarh	(B)	,,	,,
3.		Dhula	(C)	,,	,,
4.	Unani	Dawakhana Ch. Topkhana	(B)	,,	Jaipur City.
5.		Kundan	(C)	,,	Sikar.
6.		Biggu	(C)	Bikaner.	Bikaner.
7.		Kalana	(C)	,,	Ganganagar.
8.		Dhirwas	(C)	,,	Taranagar.
9.		Ajitpur	(C)	,,	Ganganagar.
10.		Bandhnau	(C)	,,	Sardarsahar-Illaka.
11.		Karthalh	(C)	,,	Ganganagar.
12.		Sherda	(C)	,,	Ganganagar.
13.		She-rekhan	(C)	,,	Ganganagar.
14.		Kakra	(C)	,,	Ganganagar.
15.	Unani	Redhkabarwara	(C)	,,	Bikaner,
16.		Mandore	(B)	Jodhpur.	Jodhpur.
17.		Bhairunda	(C)	,,	,,
18.		Loonwa	(B)	,,	Nagore.
19.		Mundara	(C)	,,	Pali.
20.		Bagghu	(C)	,,	Nagore.
21.		Salamgarh	(B)	Udaipur.	Chitorgarh.
22.		Modkanimbehera	(C)	,,	Bhilwara.
23.		Kolyari	(C)	,,	Udaipur.
24.		Jasma	(B)	,,	,,
25.	Unani	Fatehnagar	(C)	,,	,,
26.		Tatarpur	(C)	Jaipur.	Alwar.
27.		Shimla	(B)	Jaipur.	Jhunjhunu.
28.		Thoona	(C)	Jaipur.	Nagar.
29.		Chandoli	(C)	Jaipur.	Bharatpur.
30.		Paprera	(C)	Jaipur.	Bharatpur.
31.		Ghatole	(C)	Udaipur.	Banswara.
32.		Thakarda	(C)	Udaipur.	Dungarpur.
33.		Badakhera	(C)	Kotah.	Bundi.
34.		Undwa	(C)	Kotah.	Bundi.
35.		Mojpur	(C)	Jaipur.	Alwar.

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की अनुमति सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की है)

प्रश्न

५८२. (५३/एस. एम.) श्रीमती यशोदा देवी, एम. एल. ए., डिविजन नं० ८:–क्या खाद्य मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :–

सन् १९५३ में खाद्य विभाग द्वारा बांसवाड़ा शहर के लिए जो अनाज आयात किया गया था उसका ऑक्ट्रोय टेक्स कितना चुकाया गया है और कितना बाकी है ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

584. (152 F. M.) Raja Shri Man Singh. M.L.A. (Div. No. 98) Will the Minister for **P.W.D.** be pleased to state :—

(a) Who suggested making the road from Chiksana village to Chiksana Railway Station, Tehsil and District Bharatpur.

(b) What amount does the Government intend to spend on this road ?

(c) How much traffic is expected to use this road.

उत्तर

(a) As is generally done, the work has been taken up in response to the general demand of the public made to various local officers from time to time.

(b) Estimated cost of the work is Rs. 35,000/-

(c) Survey of the traffic has not been done but t is expected that the traffic will be about 200 tons per day.

प्रश्न

५८६. (७०/एम. एच. एम.) श्रीमती यशोदादेवी एम. एल. ए. डिविजन नं० ८:– क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

बाँसवाड़ा अस्पताल में जो एक्सरे मशीन पाँच साल से खराब पड़ी है, अब तक उसकी दुरुस्ती क्यों नहीं हुई और जनता को इतने दिनों तक उसके लाभ से क्यों वंचित रखा गया है ?

उत्तर

अर्थाभाव के कारण दुरुस्त नहीं कराई जा सकी। अब १६ जनवरी, १९५४ को इसकी दुरुस्ती के आदेश दे दिए गए हैं।

प्रश्न

५८७. (५४/एस. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, डिविजन नम्बर ४८:– क्या खाद्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(क) बिनोले Cotton seed की निकासी राजस्थान सरकार ने क्यों बन्द कर रखी है ?

(ख) क्या भारत सरकार ने विज्ञप्ति नम्बर एस. आर. ओ. ५२६ तारीख २२-३-५२ द्वारा ऐसी सब पाबन्दियाँ दूर कर दी हैं ?

(ग) यदि ऐसा है तो राजस्थान सरकार ने ऐसी पाबन्दी क्यों लगा रखी है ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

५८८. (१६२/एफ. एम.) श्री महादेव प्रसाद, एम. एल. ए; डिविजन नम्बर ६२:– क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) झुन्झुनू जिले में जो झुन्झुनू व सिंघाने के बीच सड़क बनाई जा रही है, क्या उसमें सरकार के टेन्डर के अनुसार मसाला लगाया जा रहा है ?

(ख) यह सड़क पूरी बनकर कब तैयार हो जायगी ?

Page No.87

उत्तर

(क) हां, बंध व नहरें वगेरह बनाने में जो खर्चा होता है उसमें माफी व जागीर जमीन वाले कुछ हिस्सा नहीं देते हैं और सारा खर्चा खालसा जमीन वालों पर पड़ता है। इसी कारण से खालसा की निस्बत जागीरी व माफी की जमीनों पर नहर से पानी देने का रेट ज्यादा रखा जाता है।

(ख) करीबन आधा कम है।

प्रश्न

५६१. (७१/एम. एच. एम.) श्रीमती यशोदादेवी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८:- क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

ग्राम अचनारा, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ की जन-संख्या ढाई हजार होते हुए भी वहाँ की जनता के लिए चिकित्सालय का कोई प्रबन्ध क्यों नहीं है ?

उत्तर

इस सम्बन्ध में कोई आवेदन नहीं किया गया। आवेदन-पत्र आने पर आवश्यक खर्च की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार विचार करेगी।

प्रश्न

५६५. (१७३/एफ. एम.) श्रीमती यशोदादेवी, एम. एल. ए; डिविजन नम्बर ८:- क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि कुशलगढ़ तहसील की राजगढ़ नदी की पुलिया जिसे बने चार माह भी नहीं हुये थे वह सन् १६५३ में थोड़ी वर्षा से बह गई ?

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी कोई जांच की गई ?

(ग) यदि की गई तो क्या रिपोर्ट मिली ?

उत्तर

(a) Rs. $2^1/_2$ crores.

(b) The following Tehsils of Udaipur district are usually famine-striken :—

(1) Girwa.

(2) Kherwara.

(3) Salumber.

(4) Serera.

(5) Seera.

(6) Lasaria.

(7) Vallabhnagar.

(8) Kotra.

(9) Phalasia.

(c) Under the $2^1/_2$ crore scheme for scarcity areas, no work has been proposed at present in these Tehsils. Rajasthan as a whole is considered to be a scarcity area. Works, likely to relieve scarcity in the state as a whole, are being taken up at suitable sites, and a very good position of the money is being spent in Udaipur.

प्रश्न

६०१. (१८१/एफ. एम.) श्री अर्जुनसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४:-क्या मन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

१. जवाई नदी की रपट या पुल जी. टी. रोड का जो सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में है बनाने की कोई स्कीम है ?

२. अगर है, तो कब तक कार्यान्वित की जावेगी ?

३. रपट बनेगी या पुल बनेगा ?

उत्तर

१. इस विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है ।

२. यह सवाल पैदा नहीं होता ।

३. यह सवाल पैदा नहीं होता ।

प्रश्न

६०२. (१८३/एफ. एम.) श्री अर्जुनसिंह, एम. एल. ए; डिविजन नम्बर ४:-क्या मन्त्री महोदय सिंचाई विभाग यह बतलाने का कष्ट करेंगे : -

१. क्या सरकार का जिला सिरोही की सूकरी नदी को बांध बांधने का विचार है ?

२. अगर हां तो, कब तक यह काम चालू होगा ?

उत्तर

१. नहीं ।

२. प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न

613. (60/S.M.) Shri Motilal Chowdhary, M.L.A.., (Div. No. 106) Will the Supply Minister be pleased to state :—

1. Who is the agent for distribution of corrugated Tin for the Nagaur District.

2. How many permits were issued by the Dept. to the different parties in the year 1952-53, 1953-54.

3. What means are used by the Govt. to check the Black Market.

उत्तर

1. The Agent for distribution of Corrugated sheets is M/S Ramdas Amritlal for whole of Jodhpur Division.

2. The said Agent has been prosecuted under Essential Supplies Temporary Powers Acts and the case is pending in Law Court and relevent records is being utilised for this prosecution. Therefore, it is not feasible to furnish the required information nor it is desirable to discuss the matter in detail.

3. As stated above the Agent has already been prosecuted and as such the matter is subjudice. In general the Enforcement Staff is vigilant and as soon as the eases are detected necessary legal action is taken.

परिशिष्ट ३.

(कृपया प्रश्न संख्या ६०६ का उत्तर देखिये)

Schedule of Fees to be charged by the Rajasthan Medical Services.

		Day.	Night. (From 11 P. M. to 5 A. M.)	Operations.. Minor	Major.	Labour. Normal.	Abnormal.
1.	Specialist whose pay is over Rs. 750/- p. m.	20/-	30/-	50/-	150/-	50/-	150/-
2.	Specialist whose pay is below Rs. 750/- p. m.	15/-	20/-	25/-	100/-	25/-	75/-
3.	Other medical officers up to the status of District Medicai & Health officers.	10/-	15/-	20/-	75/-	20/-	60/-
4.	Civil Assistant Surgeon Class I Whose pay is Rs. 400/- p. m. or above.	7/-	10/-	15/-	60/-	15/-	50/-
5.	Civil Assistant Surgeon Class I whose pay is below Rs. 400/- p. m.	5/-	7/-	10/-	-	10/-	30/-
6.	Civil Assistant Surgeon Class II.	3/-	5/-	8/-	-	8/-	20/-
7.	Nurse having B. P. N. A. qualifications, midwives and compounders Grade I.	2/-	4/- whole day duty Rs. 10/- & whole night duty Rs. 15/-.	-	-	6/-	-
8.	Nurses, Dais, Junior Nurses and compounders grade II.	2/-	4/- Day duty Rs. 5/- night duty Rs. 8/-.	-	-	4/-	-
9.	Nurses & compounders grade III & IV	1/-	1/8/-	-	-	4/-	-

Note No. 1. If any instrument and appliances and ward furniture are used for private patients the medical Officer will see that Rs. 30/- out of the above fees are paid to the Government Treasury for major operations and Rs 10/- for minor operations.

2. The charges for Govt. servants and their families will be 50% of the above schedule.

Sd/- L. C. Lodha.

for Director of Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१२. (२७ एस. एम.) श्री धर्मपाल पंवार, एम. एल. ए., विभाजन संख्या ३७—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राज्य सरकार द्वारा ७५ प्रतिशत सहायता पाने वाली दलितोत्थान तथा हरिजन सेवा करने वाली १२ संस्थाओं को १९५२–५३ में सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता प्रदान की ? कृपया अलग-आँकड़े बताने का कष्ट करें।

(ख) इन १२ संस्थाओं के प्रधान संचालकों के क्या-क्या नाम हैं और उनके जीविकोपार्जन के क्या-क्या साधन हैं ?

(ग) क्या यह संस्थायें सभी रजिस्टर्ड हैं ? यदि हाँ, तो क्या कृपा कर इनका विधान दिखाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर इन्हें सहायता दी जाती है ?

(घ) इन संस्थाओं के गत वर्षों के हिसाब की कोई रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है ? यदि नहीं तो कौन-कौन सी संख्या की ?

उत्तर

(क तथा ख) सूचियें सेलग्न हैं। संस्थाओं के संचालकों के जीविकोपार्जन के साधनों का पता नहीं।

(ग) हाँ। विधान एकत्रित किये जा रहे हैं।

(घ) जिनको नियमानुसार सहायता दी गई है उनके गत वर्ष के हिसाब की चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट आ चुकी है। शेष को एड हॉक बेसिस पर सहायता दी गई है।

सूचियें

सरकार द्वारा सहायता पाने वाली निम्न संस्थाओं को १९५२-५३ में सहायता प्रदान की गई। :—

		रु०	आ०	पा०
१.	हरिजन सेवक संघ, उदयपुर	७२०१	४	६
२.	शान्त सेवा कुटीर, बाँसवाड़ा	२०८६	८	०
३.	हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा	१००००	०	०

४.	सेवा संघ, भिगोद	११२१	०	०
५.	खारीतट सर्वोदय संघ, शाहपुरा	१४८७	६	६
६.	हरिजन सेवक समिति, प्रतापगढ़	१६०७	०	०
७.	श्री कृष्ण छात्रावास, सीकर	५२४६	४	६
८.	गाँधी विद्यालय, सूरजगढ़	११६५	८	०

सरकार द्वारा सहायता पाने वाली संस्थाओं के संचालकों की नामावली

१.	खारीतट सर्वोदय संघ, शाहपुरा	श्री रमेशचन्द्र ओझा
२.	हरिजन सेवक संघ, उदयपुर	श्री कन्हैयालाल खवास
३.	शान्तसेवा कुटीर, बाँसवाड़ा	श्री चिम्मनलाल मालोत
४.	हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा	श्री भंवरलाल भदादा
५.	सेवा संघ भिगोद	श्री मनोहरसिंह मेहता
६.	हरिजन सेवक समिति प्रतापगढ़	श्री अमृतलाल पायक
७.	श्री कृष्ण छात्रावास सीकर	श्री भूरालाल गुरावा

———